

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 20]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 13 मई 2016—वैशाख 23 शक 1938

विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 21 अप्रैल 2016

क्र. ई-5-843-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री नीरज दुबे, आयएस., को दिनांक 22 अप्रैल से 13 मई 2016 तक बाईस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 14, 15 मई 2016 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2) अवकाशकाल में श्री नीरज दुबे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(3) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री नीरज दुबे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

भोपाल, दिनांक 23 अप्रैल 2016

क्र. ई-1-150-2016-5-एक.—श्री अभय कुमार वर्मा, भाप्रसे (2007), महाप्रबंधक, राज्य भंडार गृह निगम को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ दिनांक 30 जुलाई, 2016 तक के लिये मुख्य महाप्रबंधक, मध्य प्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है.

भोपाल, दिनांक 25 अप्रैल 2016

क्र. ई-1-63-2016-5-एक.—श्री एम. के. अग्रवाल, भा.प्र.से.(2000) द्वारा तत्कालीन कलेक्टर, मुरैना के रूप में पदस्थ रहते हुए वर्ष 2011 में ग्राम सुन्दरपुर, जिला मुरैना के पुनर्मतदान में लापरवाही बरतने के बारे में अखिल भारतीय सेवाएं (अनुशासन तथा अपील) नियम, 1969 के नियम 10(1)(ए) के तहत दिनांक

25 अगस्त 2015 को श्री अग्रवाल के विरुद्ध कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया था. राज्य शासन द्वारा विचारोपरान्त श्री अग्रवाल के विरुद्ध संस्थित उक्त प्रकरण विभागीय आदेश क्रमांक 1268-1587-2012-6-एक, दिनांक 22 मार्च 2016 से बिना किसी दण्ड के समाप्त किया गया है.

(2) आवंटन वर्ष 2000 तथा पूर्व के अवशेष अधिकारियों की अधिसमय वेतनमान में पदोन्नति के उपयुक्तता निर्धारण हेतु दिनांक 23 फरवरी 2016 को छानबीन समिति की बैठक आयोजित की गई थी. तत्समय श्री एम. के. अग्रवाल, भा.प्र.से.(2000) के विरुद्ध उक्त प्रकरण प्रचलित रहने से उनका मामला भारत सरकार के पदोन्नति संबंधी मार्गदर्शी निर्देश दिनांक 28 मार्च 2000 के अंतर्गत लंबित अनुशासनात्मक कार्यवाही के मामलों की श्रेणी में आने से, इस बैठक में समिति ने श्री एम. के. अग्रवाल, भा.प्र.से. (2000) की अधिसमय वेतनमान में पदोन्नति की उपयुक्तता के संबंध में अपनी अनुशंसा सीलबंद लिफाफे में रखी.

(3) श्री एम. के. अग्रवाल, भा.प्र.से.(2000) के विरुद्ध संस्थित प्रकरण बिना किसी दण्ड के समाप्त किये जाने के आलोक में आवंटन वर्ष 2000 के भा.प्र.से. अधिकारियों को अधिसमय वेतनमान दिये जाने के संबंध में दिनांक 23 फरवरी 2016 को संपन्न छानबीन समिति की बैठक में समिति द्वारा उपरोक्तानुसार श्री एम. के. अग्रवाल, भा.प्र.से.(2000) के संबंध में की गई अनुशंसा संबंधी सीलबंद लिफाफे को खोला गया. समिति ने उन्हें अधिसमय वेतनमान दिए जाने के लिए उपयुक्त पाया है.

(4) अतः राज्य शासन एतद्द्वारा श्री एम. के. अग्रवाल, भा.प्र.से.(2000) कलेक्टर, जिला खण्डवा को उनसे तत्काल कनिष्ठ अधिकारी श्रीमती सुनीता त्रिपाठी, भा.प्र.से.(2000) को अधिसमय वेतनमान प्रदान किए जाने की तिथि अर्थात् दिनांक 8 मार्च 2016 से अधिसमय वेतनमान (रुपये 37400—67000+ग्रेड पे 10,000) में काल्पनिक पदोन्नति (Notional Promotion) प्रदान करता है.

(5) अधिसमय वेतनमान में श्री एम. के. अग्रवाल, भा.प्र.से.(2000) का वेतन एवं अन्य स्वत्व काल्पनिक पदोन्नति की तिथि अर्थात् दिनांक 8 मार्च, 2016 से निर्धारित होंगे, किन्तु अधिसमय वेतनमान में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि तक उन्हें वेतन भत्तों के एरियर्स की राशि की पात्रता नहीं होगी. अधिसमय वेतनमान में पदोन्नति का वास्तविक लाभ उन्हें अधिसमय वेतनमान में कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से प्राप्त होगा.

(6) श्री एम. के. अग्रवाल, भा.प्र.से.(2000) के वर्तमान में धारित संवर्गीय पद कलेक्टर, जिला खण्डवा का पद अधिसमय वेतनमान में असंवर्गीय होने के कारण श्री अग्रवाल के पदोन्नति आदेश प्रसारण दिनांक से आगामी आदेश तक भा.प्र.से. के अधिसमय वेतनमान में कलेक्टर, जिला खण्डवा के पद का उन्नयन करते हुए, उक्त पद की समकक्षता सचिव मध्यप्रदेश शासन के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है.

क्र. ई-1-142-2016-5-एक.—श्री अजीत कुमार, भा.प्र.से.(2002), मिशन संचालक, समग्र सामाजिक सुरक्षा मिशन तथा अतिरिक्त परियोजना संचालक, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान एवं संचालक, सामाजिक न्याय को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ, आगामी आदेश तक, संचालक, बजट का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है.

क्र. ई-1-147-2016-5-एक.—श्री कर्मवीर शर्मा, भा.प्र.से.(2010), आयुक्त, नगर पालिक निगम, रीवा को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ, आगामी आदेश तक, अपर कलेक्टर, जिला रीवा का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है.

क्र. ई-5-476-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री दीपक खाण्डेकर, आयएस., कमिश्नर, अपर मुख्य सचिव, मध्य प्रदेश शासन, वन, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग एवं विकअ-सह-सदस्य सचिव, राज्य योजना आयोग तथा अध्यक्ष, व्यावसायिक परीक्षा मण्डल को दिनांक 30 अप्रैल से 17 मई 2016 तक अठारह दिन का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) श्री दीपक खाण्डेकर की अवकाश अवधि में अपर मुख्य सचिव, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग एवं विकअ-सह-सदस्य सचिव, राज्य योजना आयोग का प्रभार श्री एस. आर. मोहंती, भा.प्र.से., अपर मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग को तथा अपर मुख्य सचिव, वन विभाग एवं अध्यक्ष, व्यावसायिक परीक्षा मण्डल का प्रभार श्री रजनीश वैश्य, भा.प्र.से., उपाध्यक्ष, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण एवं पदेन अपर मुख्य सचिव, नर्मदा घाटी विकास विभाग तथा प्रबंध संचालक, नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट कंपनी लिमिटेड/एनबीपीसीएल) विकअ-सह-सदस्य (पुनर्वास) नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ, अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक सौंपा जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री दीपक खाण्डेकर को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न अपर मुख्य सचिव, मध्य प्रदेश शासन, वन, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग एवं विकअ-सह-सदस्य सचिव, राज्य योजना आयोग तथा अध्यक्ष, व्यावसायिक परीक्षा मण्डल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री दीपक खाण्डेकर द्वारा अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वन, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग एवं विकअ-सह-सदस्य सचिव, राज्य योजना आयोग एवं अध्यक्ष, व्यावसायिक परीक्षा मण्डल का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री एस. आर. मोहंती, अपर मुख्य सचिव, योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग एवं विकअ-सह-सदस्य सचिव, राज्य योजना आयोग के एवं श्री रजनीश वैश्य, अपर मुख्य सचिव, वन विभाग एवं अध्यक्ष, व्यावसायिक परीक्षा मण्डल के प्रभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री दीपक खाण्डेकर को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री दीपक खाण्डेकर अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

भोपाल, दिनांक 26 अप्रैल 2016

क्र. ई-5-685-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री डी. पी. आहूजा, आयएस., प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश ट्रेड एण्ड इन्वेस्टमेंट फेसिलिटेशन कार्पोरेशन लिमि. (ट्रायफेक) को दिनांक 2 से 7 मई 2016 तक छह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। उक्त अवकाश के साथ दिनांक 1 एवं 8, 9 मई 2016 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री डी. पी. आहूजा को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न, प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश ट्रेड एण्ड इन्वेस्टमेंट फेसिलिटेशन कार्पोरेशन लिमि. (ट्रायफेक) के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री डी. पी. आहूजा को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री डी. पी. आहूजा अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई-5-897-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री जे. के. जैन, आयएस., कलेक्टर, जिला रायसेन को दिनांक 6 से 13 अप्रैल 2016 तक आठ दिन का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। उक्त अवकाश के साथ दिनांक 14, 15, 16, 17 अप्रैल 2016 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की भी अनुमति प्रदान की जाती है।

(2) श्री जे. के. जैन की अवकाश अवधि में श्री स्वरोचिष सोमवंशी, भाप्रसे, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, रायसेन को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक कलेक्टर, जिला रायसेन का प्रभार सौंपा जाता है।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री जे. के. जैन को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर, जिला रायसेन के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री जे. के. जैन द्वारा कलेक्टर, जिला रायसेन का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री स्वरोचिष सोमवंशी, भाप्रसे, कलेक्टर, जिला रायसेन के प्रभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री जे. के. जैन को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री जे. के. जैन अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई-5-922-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री अजय कटेसरिया, आयएस., मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत,

टीकमगढ़ को दिनांक 18 अप्रैल से 7 मई 2016 तक बीस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। उक्त अवकाश के साथ दिनांक 14, 15, 16, 17 अप्रैल 2016 एवं 8, 9 मई 2016 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति के साथ (दिनांक 24 अप्रैल से 1 मई 2016 तक की अवधि का उपभोग एक्स इंडिया अवकाश के रूप में किये जाने की अनुमति सहित) प्रदान की जाती है।

(2) श्री अजय कटेसरिया की अवकाश अवधि में श्री शिवपाल सिंह, अपर कलेक्टर, जिला टीकमगढ़ को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत टीकमगढ़ का प्रभार सौंपा जाता है।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री अजय कटेसरिया को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, टीकमगढ़ के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री अजय कटेसरिया द्वारा मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, टीकमगढ़ का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री शिवपाल सिंह, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, जिला टीकमगढ़ के प्रभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री अजय कटेसरिया को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अजय कटेसरिया अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई-5-985-आयएस-लीव-5-एक.—(1) सुश्री तन्वी हुड्डा, आयएस., सहायक कलेक्टर, जिला रतलाम को दिनांक 16 से 19 अगस्त 2016 तक चार दिन का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। उक्त अवकाश के साथ दिनांक 13, 14, 15 एवं 20, 21 अगस्त 2016 के सार्वजनिक अवकाश को भी जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(2) अवकाश से लौटने पर सुश्री तन्वी हुड्डा को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न, सहायक कलेक्टर, जिला रतलाम के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में सुश्री तन्वी हुड्डा को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि सुश्री तन्वी हुड्डा, अवकाश पर नहीं जाती तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं।

भोपाल, दिनांक 28 अप्रैल 2016

क्र. ई-5-814-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्रीमती उर्मिल मिश्रा, आयएस., आयुक्त, पिछड़ा वर्ग कल्याण, भोपाल को दिनांक 26 अप्रैल से 7 मई 2016 तक बारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत

किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 8 एवं 9 मई 2016 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती उर्मिल मिश्रा को अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न, आयुक्त, पिछड़ा वर्ग कल्याण, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्रीमती उर्मिल मिश्रा को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती उर्मिल मिश्रा अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं।

क्र. ई-5-888-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री कर्मवारी शर्मा, भाप्रसे, आयुक्त, नगर पालिक निगम, रीवा को दिनांक 2 से 7 मई 2016 तक छह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 1 एवं 8 एवं 9 मई 2016 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री कर्मवारी शर्मा को अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न, आयुक्त, नगर पालिक निगम, रीवा के पद पर पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री कर्मवारी शर्मा को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री कर्मवारी शर्मा अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई-5-933-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री दीपक आर्य, आएएस. (2012), मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, जिला विदिशा दिनांक 28 मार्च से 4 अप्रैल 2016 तक आठ दिन का अर्जित अवकाश कार्योंत्तर स्वीकृत किया जाता है। उक्त अवकाश के साथ दिनांक 27 मार्च 2016 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री दीपक आर्य को अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, जिला विदिशा के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री दीपक आर्य को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री दीपक आर्य अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई-5-979-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री लोकेश कुमार रामचन्द्र जांगिड़, आएएस. सहायक कलेक्टर, जिला सीहोर को

दिनांक 20 से 29 अप्रैल 2016 तक दस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री लोकेश कुमार रामचन्द्र जांगिड़ को अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न, सहायक कलेक्टर, जिला सीहोर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री लोकेश कुमार रामचन्द्र जांगिड़ को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री लोकेश कुमार रामचन्द्र जांगिड़ अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

भोपाल, दिनांक 2 मई 2016

क्र. ई-1-151-2016-5-एक.—राज्य शासन एतद् द्वारा श्री के. के. खरे, भाप्रसे (1997), प्रमुख राजस्व आयुक्त मध्यप्रदेश भोपाल को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ, आगामी आदेश तक, पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग भी घोषित करता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अँटोनी डिसा, मुख्य सचिव.

भोपाल, दिनांक 30 अप्रैल, 2016

क्र. एफ-ए-6-34-2015-एक(1).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 316(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, डॉ. बी. बी. ब्यौहार, सदस्य (कार्यवाहक अध्यक्ष) मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, को मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष पद पर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त करते हैं।

क्र. एफ-ए-6-34-2015-एक(1).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 316(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, श्री भास्कर कुमार चौबे, सहायक प्राध्यापक, शासकीय ओएफके महाविद्यालय, जबलपुर को मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, के सदस्य पद पर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त करते हैं।

भोपाल, दिनांक 2 मई 2016

क्र. एफ 5-01-2016-एक-(1).—इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 14 जनवरी 2016 को निरस्त करते हे उच्च न्यायालय न्यायाधिपतिगत (सेवा शर्तें) अधिनियम 1954 की धारा 13 के अंतर्गत मध्यप्रदेश के राज्यपाल, जस्टिस श्री जे. के. जैन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, इंदौर खण्डपीठ इन्दौर, को दिनांक 26 से 27 नवम्बर 2015 तक के आकस्मिक अवकाश (पूर्ववर्ती सार्वजनिक अवकाश दिनांक 25 नवम्बर 2015 तथा पश्चात्पूर्व सार्वजनिक अवकाश दिनांक 28 एवं 29 नवम्बर 2015) के साथ यात्रा सुविधा का लाभ लेने के फलस्वरूप भारत सरकार, कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय के ज्ञापन क्रमांक एफ क्र. 31011-4-2008-ईएसटीटी(ए), दिनांक 23 सितम्बर, 2008 में निहित प्रावधानों के अंतर्गत एल. टी. सी. एवं दस दिवस का पूर्ण वेतन भत्ते सहित अवकाश नगदीकरण करने की स्वीकृति प्रदान करते हैं।

(2) उपरोक्तानुसार नगद भुगतान एक मुश्त किया जावे. भारत सरकार के उक्त निर्देशों के प्रावधान अनुसार यह नगदीकरण सेवानिवृत्ति के समय अनुमत अधिकतम तीन सौ दिन के नगदीकरण में से घटया नहीं जावेगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. के. कातिया, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 2 मई 2016

क्र. ई-5-926-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री स्वरोचिष सोमवंशी, आयएस., मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, रायसेन को दिनांक 23 दिसम्बर 2015 को एक दिन का अर्जित अवकाश कार्योंत्तर स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाशकाल में श्री स्वरोचिष सोमवंशी को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(3) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री स्वरोचिष सोमवंशी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
फजल मोहम्मद, अवर सचिव "कार्मिक".

गृह विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 2 मई 2016

क्र. एफ-1(ए)156-93-ब-2-दो.—श्री पवन श्रीवास्तव, भा.पु.से पुलिस महानिरीक्षक, विसबल, रेंज इन्दौर को दिनांक 2 से 13 मई 2016 तक 13 दिवस अर्जित अवकाश, दिनांक 1 एवं 14-15 मई 2016 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत करते हुए, खण्ड वर्ष 2014-17 के पार्ट वर्ष 2016-17 में गृह नगर की अवकाश यात्रा सुविधा के बदले में भारत भ्रमण की अवकाश यात्रा सुविधा के तहत परिवार के निम्नलिखित सदस्यों सहित लक्ष्यदीप जाने की अनुमति तथा 10 दिवस अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है:—

क्रमांक	परिवार के सदस्यों के नाम	संबंध
1	श्री पवन श्रीवास्तव	स्वयं
2	श्रीमती भावना श्रीवास्तव	पत्नी
3	श्रेयस	पुत्र
4	कान्हा	पुत्र

(2) अवकाश अवधि में श्री पवन श्रीवास्तव, भा.पु.से का चालू कार्य श्री तरुण नायक, भापुसे, सेनानी प्रथम वाहिनी विसबल, इन्दौर द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ सम्पादित करेंगे.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री पवन श्रीवास्तव, भापुसे, को अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न पुलिस महानिरीक्षक, विसबल, रेंज इन्दौर के पद पर पुनः-पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री पवन श्रीवास्तव, भापुसे, के द्वारा अपने पद पर कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका-2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाश काल में श्री पवन श्रीवास्तव, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री पवन श्रीवास्तव, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कमला उपाध्याय, अवर सचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 30 अप्रैल 2016

फा. क्र. 1(अ)-18-2003-इक्कीस-ब(दो).—के संदर्भ में एतद्वारा राज्य शासन महाधिवक्ता मध्यप्रदेश शासन को शासकीय आवास सुसज्जित करने के लिए वही सुविधाएं प्रदान करता है, जो उच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीशों को प्रदान की जाती है.

भोपाल, दिनांक 30 अप्रैल 2016

फा. क्र. 1(सी)05-2015-इक्कीस-ब(दो)16.—राज्य शासन द्वारा इस विभाग के आदेश क्र. 1(सी)05-2015-इक्कीस-ब(दो), दिनांक 30 जून 2015 में संशोधन करते हुए श्री एस. के. कश्यप अधिवक्ता, को राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो की ओर से उच्च न्यायालय, जबलपुर में पैरवी हेतु निम्नलिखित सेवा शर्तों के अधीन नियुक्त किया जाता है:—

1. उन्हें प्रतिमाह 55,000/- (रुपये पचपन हजार मात्र) पारिश्रमिक देय होगा.
2. उक्त के अतिरिक्त संबंधित प्रकरण का स्टेशनरी आदि का अनुषांगिक व्यय भी देय होगा.
3. देयक की राशि का भुगतान आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ द्वारा किया जावेगा.
4. एक वर्ष की अवधि में दोनों पक्ष एक माह की पूर्व सूचना देने पर संविदा समाप्त करने के लिए स्वतंत्र होंगे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जे. के. वैद्य, सचिव.

राजस्व विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 12 अप्रैल 2016

क्र. एफ-16-20-2012-सात-2ए-.-राज्य सरकार एतद्वारा पूंजी निवेशकों को आवंटित सरकारी पट्टे की भूमियों के अभिहस्तांकन (Conveyance) संबंधी जारी समसंख्यक नीति निर्देश दिनांक 30 सितम्बर 2013 में निम्नानुसार संशोधन करती है :-

1. नीति/निर्देश दिनांक 30 सितम्बर, 2013 की कंडिका 2 की उपकंडिका (11) एवं उपकंडिका (12) के स्थान पर निम्नानुसार उपकंडिका (11) एवं उपकंडिका (12) प्रतिस्थापित की जाती है :-

“(11) ऋणदाता बैंक का आर.बी.आई. एक्ट, 1934 के अनुसार शेड्यूल बैंक अथवा वित्तीय संस्था का कम्पनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के तहत लोक वित्तीय संस्थान होना आवश्यक होगा;

परन्तु यदि ऋणदाता एक कॉन्सॉर्शियम (Consortium) है और उसके सभी सदस्य आर. बी. आई. एक्ट, 1934 के अनुसार शेड्यूल बैंक अथवा कम्पनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के तहत लोक वित्तीय संस्थान नहीं है, तो यथास्थिति ऐसे कॉन्सॉर्शियम द्वारा नियुक्त, ट्रस्टी अर्थात् अग्रहणी (lead) बैंक का आर. बी. आई. एक्ट, 1934 के अनुसार शेड्यूल बैंक होना अथवा वित्तीय संस्था का कम्पनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अंतर्गत लोक वित्तीय संस्थान होना आवश्यक है;

- (12) यदि ऋण एक कॉन्सॉर्शियम (Consortium) द्वारा दिया गया है, तो इस विशेष परिस्थिति को दृष्टिगत रखते हुए ऋणदाताओं के पक्ष में यथास्थिति उनके द्वारा नियुक्त ट्रस्टी अर्थात् अग्रणी (lead) बैंक अथवा वित्तीय संस्था को आवेदक कम्पनी के साथ अभिहस्तांकन/अन्तरण अनुबंध हस्ताक्षरित करने की अनुमति होगी;”

2. नीति/निर्देश दिनांक 30 सितम्बर, 2013 की कंडिका 5 की उपकंडिका (4) एवं उपकंडिका (5) के स्थान पर निम्नानुसार उपकंडिका (4) एवं उपकंडिका (5) प्रतिस्थापित की जाती है :-

“(4) ऋणदाता बैंक का आर. बी. आई. एक्ट, 1934 के अनुसार शेड्यूल बैंक है अथवा वित्तीय संस्था कम्पनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के तहत लोक वित्तीय संस्थान है;

परन्तु यदि ऋणदाता एक कॉन्सॉर्शियम (Consortium) है और भले ही उसके सभी सदस्य आर. बी. आई. एक्ट, 1934 के अनुसार

शेड्यूल बैंक नहीं हैं अथवा सभी वित्तीय संस्थाएं कम्पनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के तहत लोक वित्तीय संस्थान नहीं हैं, किन्तु ऐसे कॉन्सॉर्शियम द्वारा नियुक्त ट्रस्ट अर्थात् अग्रणी (lead) बैंक या वित्तीय संस्थान यथास्थिति आर. बी. आई. एक्ट, 1934 के अनुसार शेड्यूल बैंक है अथवा वित्तीय संस्था कम्पनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के तहत लोक वित्तीय संस्थान है;

- (5) यदि ऋण एक कॉन्सॉर्शियम (Consortium) द्वारा दिया गया है तो इस विशेष परिस्थिति को दृष्टिगत रखते हुए ऋणदाताओं के पक्ष में यथास्थिति उनके द्वारा नियुक्त ट्रस्टी अर्थात् अग्रणी (lead) बैंक अथवा वित्तीय संस्था के साथ अभिहस्तांकन/अन्तरण अनुबंध हस्ताक्षरित करने के लिये आवेदक/अभिहस्तांतरणकर्ता सहमत है;”

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
किरण मिश्रा, अवर सचिव.

योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग

मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 22 अप्रैल 2016

क्र. एफ-10-150-2006-तेईस-योआसां:-राज्य शासन एतद्वारा श्री विजय बहादुर सिंह बुन्देला, राज्यमंत्री, दर्जा प्राप्त उपाध्यक्ष, बुन्देलखण्ड विकास प्राधिकरण कार्यालय, आयुक्त सागर संभाग सागर, मध्यप्रदेश को उपाध्यक्ष पद पर कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक 16 फरवरी 2016 से वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ 11-36-2003-नियम-चार, दिनांक 4 फरवरी 2006 तथा क्रमांक एफ 11-15-2010-नियम-चार, दिनांक 10 अगस्त 2011 में दर्शाई शर्तों के अनुसार आगामी आदेश तक के लिये सुविधाएं निम्नानुसार प्रदत्त करता है :-

क्र.	देय सुविधा का प्रकार	देय सुविधा का विवरण
(1)	(2)	(3)
1	मानदेय एवं सरकार भत्ता	रु. 10,000/- (मासिक)
2	यात्र भत्ता/ दैनिक भत्ते	राज्य शासन के "ए" श्रेणी के अधिकारी की भांति.
3	किराये के आवास की सुविधा	रु. 15,000/- प्रतिमाह
4	वाहन	1
5	वाहन चालक	1
6	पेट्रोल सीमा	100 लीटर प्रतिमाह
7	यात्रा सुविधा	वायुयान एवं रेल की वातानुकूलित प्रथम श्रेणी.

8	चिकित्सा सुविधा	विधायक होने की स्थिति में विधायक के समान अन्यथा अखिल भारतीय सेवाओं के अनुरूप.
9	निजी स्टाफ	निज सहायक-एक, भृत्य-दो
10	दूरभाष	कार्यालय एक, निवास-एक.
11	दूरभाष व्यय सीमा	रु. 30,000/- प्रतिवर्ष (किराया छोड़कर)

दूरभाष व्यय सीमा के अंतर्गत राशि में रुपये 750/- प्रतिमाह तक का व्यय मोबाइल फोन पर अनुमत होगा, परन्तु शर्त यह होगी कि इन पदाधिकारियों को दूरभाष व्यय की जो अधिकतम सीमा निर्धारित है वह मोबाइल फोन पर हुए व्यय को मिलाकर रहेगी. मोबाइल उपकरण का क्रय पदाधिकारियों को स्वयं करना होगा.

क्र. एफ-10-150-2006-तेईस-योआसां.—राज्य शासन एतद्वारा श्री महेन्द्र यादव, राज्यमंत्री, स्तर दर्जा प्राप्त उपाध्यक्ष, बुन्देलखण्ड विकास प्राधिकरण कार्यालय, आयुक्त सागर संभाग सागर, मध्यप्रदेश को प्रभार ग्रहण करने की दिनांक 16 फरवरी 2016 से वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ 11-36-2003-नियम-चार, दिनांक 4 फरवरी 2006 तथा क्रमांक एफ 11-15-2010-नियम-चार, दिनांक 10 अगस्त 2011 में दर्शाई शर्तों के अनुसार आगामी आदेश तक के लिये सुविधाएं निम्नानुसार प्रदत्त करता है :-

क्र.	देय सुविधा का प्रकार	देय सुविधा का विवरण
(1)	(2)	(3)
1	मानदेय एवं सरकार भत्ता	रु. 10,000/- (मासिक)
2	यात्रा भत्ता/ दैनिक भत्ते	राज्य शासन के "ए" श्रेणी के अधिकारी की भांति.
3	किराये के आवास की सुविधा	रु. 15,000/- प्रतिमाह
4	वाहन	1
5	वाहन चालक	1
6	पेट्रोल सीमा	100 लीटर प्रतिमाह
7	यात्रा सुविधा	वायुयान एवं रेल की वातानुकूलित प्रथम श्रेणी.
8	चिकित्सा सुविधा	विधायक होने की स्थिति में विधायक के समान अन्यथा अखिल भारतीय सेवाओं के अनुरूप.
9	निजी स्टाफ	निज सहायक-एक, भृत्य-दो
10	दूरभाष	कार्यालय एक, निवास-एक.

11	दूरभाष व्यय सीमा	रु. 30,000/- प्रतिवर्ष (किराया छोड़कर)
----	------------------	--

दूरभाष व्यय सीमा के अंतर्गत राशि में रुपये 750/- प्रतिमाह तक का व्यय मोबाइल फोन पर अनुमत होगा, परन्तु शर्त यह होगी कि इन पदाधिकारियों को दूरभाष व्यय की जो अधिकतम सीमा निर्धारित है वह मोबाइल फोन पर हुए व्यय को मिलाकर रहेगी. मोबाइल उपकरण का क्रय पदाधिकारियों को स्वयं करना होगा.

क्र. एफ-10-150-2006-तेईस-योआसां.—राज्य शासन एतद्वारा डॉ. राम कृष्ण कुसमारिया केबिनेट मंत्री स्तर दर्जा प्राप्त अध्यक्ष, बुन्देलखण्ड विकास प्राधिकरण कार्यालय, आयुक्त सागर संभाग सागर, मध्यप्रदेश को अध्यक्ष पद पर कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक 16 फरवरी 2016 से वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ 11-36-2003-नियम-चार, दिनांक 4 फरवरी 2006 तथा क्रमांक एफ 11-15-2010-नियम-चार, दिनांक 10 अगस्त 2011 में दर्शाई शर्तों के अनुसार आगामी आदेश तक के लिये सुविधाएं निम्नानुसार प्रदत्त करता है :-

क्र.	देय सुविधा का प्रकार	देय सुविधा का विवरण
(1)	(2)	(3)
1	मानदेय एवं सरकार भत्ता	रु. 13,000/- (मासिक)
2	यात्रा भत्ता/ दैनिक भत्ते	राज्य शासन के "ए" श्रेणी के अधिकारी की भांति.
3	किराये के आवास की सुविधा	रु. 20,000/- प्रतिमाह
4	वाहन	1
5	वाहन चालक	1
6	पेट्रोल सीमा	120 लीटर प्रतिमाह
7	यात्रा सुविधा	वायुयान एवं रेल की वातानुकूलित प्रथम श्रेणी.
8	चिकित्सा सुविधा	विधायक होने की स्थिति में विधायक के समान अन्यथा अखिल भारतीय सेवाओं के अनुरूप.
9	निजी स्टाफ	निज सचिव एक, निज सहायक-एक, भृत्य-दो
10	दूरभाष	कार्यालय एक, निवास-एक.
11	दूरभाष व्यय सीमा	रु. 30,000/- प्रतिवर्ष प्रति दूरभाष (किराया छोड़कर)

दूरभाष व्यय सीमा के अंतर्गत राशि में रुपये 750/- प्रतिमाह तक का व्यय मोबाइल फोन पर अनुमत होगा, परन्तु शर्त यह होगी कि इन पदाधिकारियों को दूरभाष व्यय की जो अधिकतम सीमा निर्धारित है वह मोबाइल फोन पर हुए व्यय को मिलाकर रहेगी. मोबाइल उपकरण का क्रय पदाधिकारियों को स्वयं करना होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शकीला अख्तर, अवर सचिव.

वन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 25 अप्रैल 2016

क्र. एफ-25-24-2016-दस-3.— भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16, सन् 1927), की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य शासन, एतद्द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार जहां तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय-समय पर संशोधित/रूपभेदित किये जायें, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे. यह वनखण्ड, N-24° 13'55" से N-24° 14'32-9" उत्तर अक्षांश तथा E-75° 40'58" से E-75° 41'55-9" पूर्व देशांश के बीच स्थित है :-

अनुसूची

जिला—मन्दसौर, तहसील—शामगढ़, वनमंडल—मन्दसौर, वन परिक्षेत्र—गरोठ

क्रमांक	प्रस्तावित वनखंड का नाम	वनखण्ड की भूमि का विवरण				वनखंड की सीमाएं
		ग्राम का नाम	भूमि का वर्तमान मद	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल (हे. में)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	हनुमंतिया	हनुमंतिया	गैर वन पड़त भूमि (राजस्व भूमि).	263/1 461/1 514/1 515/1पे 515/1पे 515/2	5.190 3.900 18.880 13.780 32.400 21.232	उत्तर—मुनारा क्रमांक 02 से 10 तक की कृत्रिम वन सीमा पूर्व—मुनारा क्रमांक 10 से 25 तक की कृत्रिम वन सीमा. दक्षिण—मुनारा क्रमांक 25 से 31 तक की कृत्रिम वन सीमा. पश्चिम—मुनारा क्रमांक 31 से 02 तक की कृत्रिम वन सीमा.
			योग . .		95.382	

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार—

1. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के आदेश क्रमांक F.No.-8-51-2014-F.C. दिनांक 22 दिसम्बर 2014 में अधिरोपित शर्त के अनुसार परियोजना निदेशक, विण्ड वर्ल्ड इण्डिया लिमिटेड भोपाल की स्वीकृत परियोजना 55.20 मेगावाट विण्ड पाँवर परियोजना के निर्माण में प्रभावित 95.3825 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त कुल 95.382 हेक्टेयर गैर वन पड़त भूमि को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर, जिला मंदसौर के आदेश क्रमांक 2-अ-20(1)/2013-14, दिनांक 7 जनवरी 2014 से हस्तांतरित अथवा नामांकित किये जाने के कारण.
2. अन्य कारणों का विवरण—निरंक

(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी, तहसीलदार शामगढ़ के संलग्न प्रमाण पत्र द्वारा अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है.

1. व्यक्तिगत अधिकार.—उपरोक्त वर्णित भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं है.
2. सामुदायिक अधिकार.—उपरोक्त वर्णित भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकार नहीं है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रमेश कुमार श्रीवास्तव, सचिव.

भोपाल, दिनांक 25 अप्रैल 2016

क्र. एफ-25-24-2016-दस-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-25-24-2016-दस-3, दिनांक 25 अप्रैल 2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रमेश कुमार श्रीवास्तव, सचिव.

Bhopal, the 25th April 2016

No. F-25-23-2016-X-3.—In Exercise of the powers of conferred by Section 29 of Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927), the State Government are pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the schedule below; Subject to the conditions that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time. This Forest Block lies between N-24° 13'55'' to N-24° 14'32'-9'' North Latitude and E-75° 40'58'' to E-75° 41'55'-9'' East Longitude :—

SCHEDULE

District—Mandsour, Tehsil-Shamgarh, Forest Division-Mandsour, Forest Range—Garoth

No.	Name of Proposed Forest Block	Details of Land Included				Forest Block Boudaries
		Name of Village	Present head of Land	Khasra No.	Area (Hectare)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Hanumantiya	Hanumantiya	Non Forest Barren Land	263/1 461/1 514/1 515/1पे 515/1पे 515/2	5.190 3.900 18.880 13.780 32.400 21.232	North —Artificial Forest Boundry from Pillar No. 02 to 10. East —Artificial Forest Boundry from Pillar No. 10 to 25. South —Artificial Forest Boundry from Pillar No. 25 to 31. West —Artificial Forest Boundry from Pillar No. 31 to 02.
			Total		95.382	

(A) Reason for publication of Notification.—

- In Accordance with the condition laid down in Ministry of Environment, Forest and Climet change, Govt. of India's order No. F. No. 8-51-2014-FC dated 22nd December 2014 and in lieu of 95.3825 hectare of affected forest land under the sanctioned project of Wind World India Ltd., Bhopal 55.20 MW wind Project the above mentioned Non Forest land of 95.382 hectare Transferred or muted in favour of Madhya Pradesh Forest Department by Collector's order No. 2/A-20(1)/the year 2013-14 dated 7th January 2014 of transferred for the purpose of compensatory afforestation.
- Details of other Reasons—Nil.

(B) The Khasra Wise details of recorded right on the above land as per Attached Certificate of Tehsildar Shamgarh, District-Mandsour are as under.

- Individuals Right**—There are no individual rights on the said land.
- Communities Rights**—There are no Communities rights on the said land.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
RAMESH KUMAR SHRIVASTAVA, Secy.

भोपाल, दिनांक 25 अप्रैल 2016

क्र. एफ-25-22-2016-दस-3.—भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16, सन् 1927), की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य शासन, एतद्द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार जहां तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय-समय पर संशोधित/रूपभेदित किये जायें, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे। यह वनखण्ड, उत्तर अक्षांश N-22° 41'24.454'' से N-22° 41'47.116'' तथा E-79° 05'33.982'' से E-79° 05'55.375'' पूर्व देशांश के बीच स्थित है।

अनुसूची

जिला—छिन्दवाड़ा, तहसील—हरई, वनमंडल—पूर्व छिन्दवाड़ा वन मंडल (क्षेत्रीय) वन परिक्षेत्र—पश्चिम हरई

क्रमांक	प्रस्तावित वनखंड का नाम	वनखण्ड की भूमि का विवरण				वनखंड की सीमाएं
		ग्राम का नाम	भूमि का वर्तमान मद	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल (हे. में)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	बुढ़ैना	बुढ़ैना	पहाड़ चट्टान	251	18.786	उत्तर—मुनारा क्रमांक 34 से 15 तक की कृत्रिम वन सीमा पूर्व—मुनारा क्रमांक 15 से 24 तक की कृत्रिम वन सीमा. दक्षिण—मुनारा क्रमांक 24 से 27 तक की कृत्रिम वन सीमा. पश्चिम—मुनारा क्रमांक 27 से 34 तक की कृत्रिम वन सीमा.
योग . . .					18.786	कृत्रिम वन सीमा.

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार—

- भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के आदेश क्रमांक 6एमपीसी 043-13-बीएचओ-1170, दिनांक 19 जून 2014 में अधिरोपित शर्त के अनुसार कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, छिंदवाड़ा की स्वीकृत परियोजना पेंचव्हेली जल प्रदाय योजना (मंधान बांध) निर्माण हेतु में प्रभावित 29.975 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त कुल 18.786 हेक्टेयर गैर वनभूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 18.786 हेक्टर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर छिन्दवाड़ा के आदेश क्रमांक 16-अ-19(3)-2011-12, दिनांक 16 मई 2012 एवं संशोधित आदेश क्रमांक 16-अ-19(3)-2011-12, दिनांक 3 मार्च 2014 से हस्तांतरित अथवा नामांकित किये जाने के कारण.

2. अन्य कारणों का विवरण—निरंक

(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी, तहसीलदार हरई, जिला छिन्दवाड़ा के प्रमाण पत्र के आधार पर अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है.

- व्यक्तिगत अधिकार.—उक्त भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं है.
- सामुदायिक अधिकार.—उक्त भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकार नहीं है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रमेश कुमार श्रीवास्तव, सचिव.

भोपाल, दिनांक 25 अप्रैल 2016

क्र. एफ-25-22-2016-दस-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-25-22-2016-10-3, दिनांक 25 अप्रैल 2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रमेश कुमार श्रीवास्तव, सचिव.

Bhopal, the 25th April 2016

No. F-25-20-2016-X-3.—In Exercise of the powers of conferred by Section 29 of Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927), the State Government are pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the schedule below; Subject to the conditions that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time. This Forest Block lies between North Latitude N-22° 41'24.454" to N-22° 41'47.116" and E-79° 05'33.982" to E-79° 05'55.375" East Longitude.

SCHEDULE

**District—Chhindwara, Tehsil-Harra. Forest Division-East Chhindwara Division (T),
Forest Range—West Harrai**

No.	Name of Proposed Forest Block	Details of Land Included				Forest Block Boundaries
		Name of Village	Present head of Land	Khasra No.	Area (Hectare)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Budhena	Budhena	Pahad Chattan	251	18.786	North—Pillar No. 34 to 15 Artificial Boundary. East—Pillar No. 15 to 24 Artificial Boundary. South—Pillar No. 24 to 27 Artificial Boundary. West—Pillar No. 27 to 34 Artificial
Total					18.786	Boundry.

(A) Reason for publication of Notification.—

- In Accordance with the condition laid down in Ministry of Environment, Forest and Climate change, Govt. of India's order No.F. No.6-MPC043-13-BHO-1170, dated 19th June 2014 and in lieu of 29-975 hectare of affected forest land under the sanctioned project of Penchvheli Jal Praday Yojna (Mandhan Tank) Project of Executive Engineer P.H.E. Chhindwara the above mentioned Nont Forest Land of 18.786 hectare transferred or muted in favour of M. P. Govt. Forest Department order No. 16-A-19(3)-2011-12 dated 16th May 2012 and Revised order No. 16-A-19(3)-2011-12, dated 3rd March 2014 of Collector Chhindwara for the purpose of compensatory afforestation.
- Details of order Reasons-Nil.**

(B) The Khasra Wise details of recorded right on the above land as per report (Certificated) of Tehsildar Harrai, Chhindwara-Indore are as under.

- Individuals Right**—There are no individual rights on the said land.
- Communities Rights**—There are no Communities rights on the said land.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
RAMESH KUMAR SHRIVASTAVA, Secy.

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 28 अप्रैल 2016

क्र. बी-4-20-15-चौदह-(2).—राज्य शासन एतद्वारा जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर के अंतर्गत पंवारखेड़ा, जिला होशंगाबाद में कृषि महाविद्यालय की स्थापना हेतु मंत्रि परिषद् आदेश क्रमांक 39, दिनांक 21 अप्रैल 2016 के परिपालन में स्वीकृति निम्नानुसार प्रदान की जाती है :—

1. उक्त महाविद्यालय में प्रवेश शैक्षणिक सत्र जुलाई 2016 से प्रारंभ किया जावे.
2. नवीन कृषि महाविद्यालय की स्थापना हेतु जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर के अधीन आंचलिक कृषि अनुसंधान केन्द्र, पंवारखेड़ा की कुल 183.287 हैक्टेयर भूमि में से 50 हैक्टेयर भूमि का उपयोग किया जावे.
3. कृषि महाविद्यालय की स्थापना हेतु अधोसंरचना विकास के लिये अनावर्ती मद में रुपये 7410.56 लाख [परिशिष्ट 2(अ) के अनुसार] तथा संचालन के लिये आवर्ती व्यय हेतु प्रति वर्ष राशि परिशिष्ट 2(ब) के अनुसार राज्य शासन द्वारा उपलब्ध कराई जावेगी. महाविद्यालय का व्यय मांग संख्या 54-2023 कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा आयोजना मद के अंतर्गत विकलनीय होगा.
4. कृषि महाविद्यालय की स्थापना हेतु विभागीय संक्षेपिका दिनांक 21 मार्च, 2016 के परिशिष्ट 3(अ) एवं परिशिष्ट 3(ब) अनुसार अधिष्ठाता का एक पद, सहप्राध्यापक के 9 पद, सहायक प्राध्यापक के 38 पद तथा गैर शैक्षणिक 55 पद कुल 103 पद सृजित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एस. धुर्वे, उपसचिव.

परिशिष्ट 2(अ)

नवीन कृषि महाविद्यालय पंवारखेड़ा, जिला होशंगाबाद की स्थापना हेतु अनावर्ती एवं आवर्ती मद अंतर्गत व्यय का विवरण

अ- अनावर्ती व्यय (अधोसंरचना विकास)

क्र. (1)	मद (2)	राशि रुपये लाख में (3)
1	प्रशासनिक एवं महाविद्यालय भवन	3795.21
2	छात्रावास (बालक) भवन	512.95
3	छात्रावास (बालिका) भवन	462.77
4	आवासीय भवन	767.10
5	स्टूडेन्ट सुविधायें (इस घटक में 30 दुधारू पशु सम्मिलित हैं)	357.59
	योग . .	5895.62
6	अभियांत्रिकी एवं विद्युतीय कार्य (33 के. व्ही. लाईन सब स्टेशन) पुराने भवनों का नवीनीकरण कक्षा प्रारंभ करने हेतु 4 शेड का निर्माण आदि.	723.00
7	महाविद्यालय प्रांगण विकास	197.94
8	अनुसंधान प्रक्षेत्र का विकास एवं यांत्रिकी वर्कशाप निर्माण	260.00
	विकास कार्य योग . .	1180.94

(1)	(2)	(3)
9	उपकरण	300.00
10	महाविद्यालय बस	18.00
11	जीप/कार	16.00
अधोसंरचना विकास कुल योग . .		7410.56
ब. आवर्ती व्यय (पांच वर्ष के लिये)		
1	वेतन एवं भत्ते (शैक्षणिक संवर्ग)	1634.89
2	वेतन एवं भत्ते (गैर शैक्षणिक संवर्ग)	1130.11
3	यात्रा भत्ता एवं पी. ओ. एल.	100.00
4	आवर्ती (आकस्मिकता व्यय)	348.00
5	ब्लाक ग्रांड (पांच वर्ष के लिये)	1000.00
आवर्ती व्यय योग . .		4213.00
अ एवं ब का योग . .		11623.56

परिशिष्ट 2(ब)

नवीन कृषि महाविद्यालय पंवारखेड़ा, जिला होशंगाबाद की स्थापना हेतु वर्षवार पांच वर्षों के लिये बजट प्रावधान

रुपये लाख में.

क्र. (1)	विवरण (2)	प्रथम वर्ष (3)	द्वितीय वर्ष (4)	तृतीय वर्ष (5)	चतुर्थ वर्ष (6)	पंचम वर्ष (7)	कुल (8)
1	वेतन एवं भत्ते (शैक्षणिक/गैर शैक्षणिक संवर्ग).	252.83	293.01	553.65	795.78	869.73	2765.00
2	आवर्ती आकस्मिकता व्यय.	60.00	65.00	70.00	75.00	78.00	348.00
3	यात्रा भत्ता एवं पी. ओ. एल.	16.67	18.33	20.00	21.67	23.33	100.00
4	उपकरण	100.00	200.00	-	-	-	300.00
5	अधोसंरचना कार्य (भवनों का निर्माण कार्य) (मुख्य भवन छात्रावास, आवासीय भवन आदि).	300.00	1030.00	1521.87	1521.87	1521.88	5895.62
6	विकास कार्य (विद्युत् केन्द्र की स्थापना अनुसंधान प्रक्षेत्र विकास एवं कृषि महाविद्यालय प्रांगण विकास, यांत्रिकी वर्कशाप निर्माण.	200.00	200.00	260.31	260.31	260.32	1180.94
7	ब्लाक ग्रांड	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	1000.00
8	वाहन (बस/जीप)	34.00	-	-	-	-	34.00
महायोग . .		1163.00	2006.34	2625.83	2874.63	2953.26	11623.56

परिशिष्ट 3(अ)

कृषि महाविद्यालय पंवारखेड़ा, जिला होशंगाबाद के लिये प्रशासकीय पद एवं शैक्षणिक पद

अ- प्रशासकीय पद—

1. अधिष्ठाता (एक) वेतनमान रुपये 37,400—67,000+10000 ग्रेड पे.

ब-शैक्षणिक पद—

क्र.	विभाग	सह-प्राध्यापक वेतनमान रु. 37,400—67,000 (ग्रेड पे 9000)	सह-प्राध्यापक वेतनमान रु. 15,600—39,100 (ग्रेड पे 6000)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	सदस्य विज्ञान	01	03
2	अनुवांशिकी एवं पौध प्रजनन	01	03
3	मृदा विज्ञान एवं कृषि रसायन	01	03
4	कीट शास्त्र	01	02
5	कृषि अर्थशास्त्र एवं प्रेक्षत्र प्रबंध	01	03
6	कृषि अभियांत्रिकी (फार्म मशीनरी / मृदा जल यांत्रिकी / सिविल)	01	03
7	पादप रोग (प्लाट पैथोलाजी)	01	03
8	उद्यानिकी	01	03
9	कृषि विस्तार शिक्षा	01	03
10	बायो केमिस्ट्री/क्राफ फिजिओलाजी/ माइक्रबायोलॉजी/इन्वायरमेन्टल साइंस.	00	04 प्रत्येक विषय हेतु एक पद
11	सांख्यिकी	00	01
12	पशुपालन	00	02
13	जैव प्रौद्योगिकी	00	01
14	सहायक ग्रंथपाल	00	01
15	कम्प्यूटर साइंस	00	01
16	अंग्रेजी भाषा	00	01
17	शारीरिक शिक्षा (क्रीड़ा अधिकारी)	00	01
कुल पद . .		09	38

कुल पद-अधिष्ठाता	01
सह प्राध्यापक	09
सहायक प्राध्यापक	38
योग कुल पद	48

परिशिष्ट 3(ब)

कृषि महाविद्यालय पंवारखेड़ा, जिला होशंगाबाद के लिये गैर शैक्षणिक पद

स- गैर शैक्षणिक पद—

क्र.	पदनाम	वेतनमान रु.	संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)
1	शीघ्र लेखक/निज सहायक	5200—20220+2800	01
2	सहायक ग्रेड-1	5200—20220+2800	01
3	सहायक ग्रेड-2	5200—20220+2400	01
4	सहायक ग्रेड-3	5200—20220+1900	12
5	कम्प्यूटर प्रोग्रामर	5200—20220+2400	02
6	सब इंजीनियर	9300—34800+3200	01

(1)	(2)	(3)	(4)
7	फार्म मैनेजर (कृषि/पशुपालन)	9300—34800+3200	02
8	कार्यालय परिचारक	5200—20200+1800	05
9	पुस्तकालय सहायक (सहायक ग्रेड-2)	5200—20200+2400	01
10	प्रक्षेत्र विस्तार अधिकारी	5200—20200+2400	03
11	प्रयोगशाला तकनीशियन	5200—20200+2400	05
12	प्रयोगशाला परिचारक	5200—20200+1800	05
13	इलेक्ट्रीशियन	5200—20200+2400	01
14	वाहन चालक (बस+ट्रेक्टर)	5200—20200+2100	02
15	वाहन चालक (जीप)	5200—20200+1900	01
16	परिचालक (बस)	4440—7440+1300	01
17	कम्पाउंडर	5200—20220+1900	01
18	नर्स	5200—20200+2100	01
19	सेनेटरी इंस्पेक्टर	5200—20200+2100	01
20	माली	4440—7440+1300	02
21	भृत्य	4440—7440+1300	02
22	चौकीदार	4440—7440+1300	02
23	सफाईकर्मी	4440—7440+1300	02
कुल पद . .			55

नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 2 मई 2016

क्र. एफ-3-125-2015-अठारह-5.—मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम (संशोधित) 1973 (क्रमांक 1 सन् 2012), की धारा 23 "क" की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद्वारा, इस विभाग की सूचना क्रमांक एफ-3-125/2015-18-5, दिनांक 28 दिसम्बर 2015 द्वारा प्रस्तावित किये गये अनुसार प्रवर्तित भोपाल विकास योजना 2005 में निम्नानुसार उपांतरण की पुष्टि करती है. उपांतरण ब्यौरे निम्नानुसार है :-

अनुसूची

क्रमांक	ग्राम	खसरा क्र.	क्षेत्रफल (एकड़ में)	विकास योजना में निर्दिष्ट भू-उपयोग	उपांतरण पश्चात् उपांतरित भू-उपयोग
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	ग्राम पीपलनेर	321/1/1/1,ख	12 एकड़	कृषि	औद्योगिक
2	ग्राम बैरागढ़कला	1/2/ख, 200/1/1/2क/2 में से 200/1/1/1क में से	21.97 एकड़ 11.08 एकड़ 37.05	कृषि कृषि कृषि	औद्योगिक औद्योगिक औद्योगिक
योग			82.10 एकड़		

- शर्तें.—(1) ग्राम बैरागढ़ कला की भूमि पर राष्ट्रीय राजमार्ग से पहुंच मार्ग के रूप में उपयोग हेतु 30 मीटर चौड़ा होना आवश्यक है.
 (2) ग्राम पीपलनेर की भूमि पर न्यूनतम 24 मीटर पहुंच मार्ग होना आवश्यक है.
 (3) स्थल पर निर्माण एवं विकास से पूर्व भारतीय विमान पत्तन विभाग से अनापत्ति आवश्यक होगी.
 (4) उक्त उपांतरण भोपाल विकास योजना 2005 का एकीकृत भाग होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
 सी. के. साधव, उपसचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छिंदवाड़ा मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छिंदवाड़ा, दिनांक 27 अप्रैल 2016

क्र. 644.—मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 (संख्या 20, 1959) की धारा 2(1) की उपधारा (य-5) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा नीचे दर्शाये अनुसूची में स्तंभ (1) में वर्णित भूमि के भाग को स्तंभ (2) में दर्शित नाम से तहसील जुन्नारदेव, जिला छिंदवाड़ा के अंतर्गत राजस्व ग्राम घोषित किया जाता है।

अनुसूची

भू-भाग का विवरण (मूल ग्राम का नाम व प. ह. नं. एवं इससे पृथक् किया गया क्षेत्रफल)
(1)
ग्राम आंकिया प. ह. नं. 72 से पृथक् किया गया क्षेत्रफल-342.986 हेक्टेयर

राजस्व ग्राम का नाम एवं प. ह. नं.
(2)
ग्राम-धोबीघाट प. ह. नं. 72

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जे. के. जैन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजगढ़ (ब्यावरा) मध्यप्रदेश एवं पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग

राजगढ़, दिनांक 26 अप्रैल 2016

प्र. क्र. 3507-अ-82-20-14-15.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची में मोतीपुराखाती तालाब, परियोजना, तहसील राजगढ़, जिला राजगढ़ के लिये आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे क्रमवार विवरण अनुसूची 1 में उल्लेखित है. अतः भूमि-अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्र. 30 सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची की भूमि रामगंज मंडी से भोपाल बड़ी रेल्वे लाईन निर्माण अर्थात् सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1) ग्राम—मोतीपुराखाती, तहसील राजगढ़

क्र. (1)	प्रभावित कृषक का नाम (2)	खसरा नम्बर (3)	रकबा (4)	प्रभावित भूमि (5)
1	धूलजी पिता मेहताब, सोदारबाई बेवा रामचन्द्र, मनोहरबाई, मंजूबाई, संजूबाई पिता रामचन्द्र जाति खाती निवासी ग्राम मोतीपुराखाती.	133	1.670	0.152
2	रोड़सिंह, राधेश्याम, घीसीबाई, गीताबाई पिता रामचन्द्र जाति खाती निवासी ग्राम मोतीपुराखाती.	96	0.911	0.327
3	मदनलाल, रामप्रसाद पिता गंगाधर, जमनीबाई विधवा गंगाधर जाति खाती निवासी ग्राम मोतीपुराखाती.	131	1.670	0.253
4	बापूलाल, गेंदालाल, मोतीलाल, रमेश, लीलाबाई, बदामबाई, उर्मिलाबाई पिता अमरलाल, धापूबाई बेवा अमरलाल जाति चमार निवासी ग्राम मोतीपुराखाती.	1/1/12	1.368	0.352
5	रामदयाल पिता मदनलाल जाति खाती निवासी ग्राम मोतीपुराखाती	1/1/2	0.924	0.676
6	चन्द्रकलाबाई पति छोटूलाल जाति गुर्जर निवासी ग्राम मोतीपुराखाती	97/1	0.159	0.100
	योग ग्राम मोतीपुराखाती . .		6.702	1.860

भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी राजगढ़ जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजगढ़, दिनांक 30 अप्रैल 2016

प्र. क्र. 23-अ-82-20-14-15.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची में रामगंज मंडी से भोपाल बड़ी रेलवे निर्माण प्रभावित ग्राम फूलखेड़ी, मनोहरपुरा, जोगीपुरा, फतेहरपुर, हरजीपुरा, बेड़ाकापुरा, बहादुरपुरा, राजगढ़, गोपालपुरा एवं सुल्तानपुरा की भूमि जिसका कृषकवार सर्वे क्रमवार विवरण अनुसूची 1 में उल्लेखित है. अतः भू-अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्र. 30 सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची की भूमि रामगंज मंडी से भोपाल बड़ी रेलवे लाईन निर्माण अर्थात् सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1) ग्राम—फूलखेड़ी तहसील राजगढ़

सं.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नम्बर	रकबा	प्रभावित भूमे
1	2	3	4	5
1	कृष्णपालसिंह पिता प्रेमसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम फूलखेड़ी	8/2	1.174	0.148
2	महेन्द्रपालसिंह, शैलेन्द्रपालसिंह पिता जगदीशसिंह जाति राजपूत नि. ग्राम फूलखेड़ी	8/3/1	0.984	0.400
		9/1/2	0.190	0.065
3	उम्मेदसिंह पिता हरिसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम फूलखेड़ी	8/3/2	0.984 मंसे	0.250
		9/1/1	0.190 मंसे	0.065
4	रामपालसिंह पिता दीपसिंह जाति राजपूत नि.ग्रा. फूलखेड़ी	9/2	0.518	0.055
5	मुकेश, दिनेश, रितेश पिता रतन जाति चमार निवासी ग्राम फूलखेड़ी	22/2/1	1.000	0.260
6	रामचन्द्र पिता कनीराम जाति चमार निवासी ग्राम फूलखेड़ी	22/2/2/1	0.250	0.060
7	कमलाबाई बेवा बिहारीलाल, बापूलाल पिता बिहारीलाल जाति चमार नि. ग्रा. फूलखेड़ी	22/2/2/2	0.250	0.060
8	रूगनाथ पिता माधु जाति चमार निवासी ग्राम फूलखेड़ी	22/2/3	0.500	0.080
9	पारथी पिता रूँकार जाति चमार निवासी ग्राम फूलखेड़ी	22/2/4	0.500	0.055
10	बीरम पिता लाला जाति चमार निवासी ग्राम फूलखेड़ी	22/2/5	0.500	0.040
11	श्रीमति मोहन देवी पति प्रेम नारायण जाति चमार नि.ग्रा. फूलखेड़ी	22/2/6	0.500	0.015
12	मंवरिया पिता केसर जाति चमार नि. ग्रा. फूलखेड़ी	22/2/7	0.500	0.002
	योग ग्राम फूलखेड़ी		6.866	1.555

(2) ग्राम - मनोहरपुरा तहसील राजगढ़

1	कृष्णपालसिंह पिता प्रेमसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम फूलखेड़ी	8/3/1	0.253	0.228
		8/3/4	1.277	0.937
2	प्यारजी पिता नवलजी साँधिया नि.ग्रा. मनोहरपुरा	10/2	1.770	0.730
3	रामसिंह पिता मेहताब साँधिया नि.ग्रा. मनोहरपुरा	14	2.516	0.175
4	बज्रेसिंह पिता भीमा साँधिया नि.ग्रा. मनोहरपुरा	15/3	1.586	0.250
5	गणपत पिता भेरू चमार नि.ग्राम मनोहरपुरा	17/12	0.515	0.280
6	देवसिंह पिता भेरू, केसरबाई पति देवसिंह चमार नि.ग्रा. मनोहरपुरा	17/13	0.370	0.370
		22/1	0.211	0.110
7	घीसालाल, पूरसिंह, देवसिंह पिता माधोसिंह साँधिया नि.ग्रा. मनोहरपुरा	22/2	0.885	0.035
8	प्यारजी, फतेहसिंह पिता नवल, मांगीलाल पिता अनारजी साँधिया नि.ग्रा. मनोहरपुरा	21	2.137	1.007

सं.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नम्बर	रकबा	प्रभावित भूमि
1	2	3	4	5
9	भेरू पिता भेना चमार नि.ग्राम. मनोहरपुरा	22/3	0.759	0.510
10	रूगनाथ सिंह पिता लूनसिंह राजपूत नि. ग्राम. मनोहरपुरा	31	2.390	0.930
11	मांगीलाल पिता लाला चमार नि. ग्राम मनोहरपुरा	32/1	0.385	0.150
12	मंजू मेवाड़े पति शिवनारायण जाति भोई निवासी राजगढ़	35/1/1	2.757	0.123
13	भंवरलाल, मदनलाल पिता लक्ष्मण, कंचनबाई बेवा लक्ष्मण निवासी फूलखेड़ी	35/2	2.757 मेसे	0.123
14	रतन पिता धन्ना जाति चमार निवासी फूलखेड़ी	35/3	2.757 मेसे	0.122
15	लालसिंह, फूलसिंह, राजेश, रंजीत पिता जगन्नाथ जाति चमार निवासी फूलखेड़ी	35/4	2.757 मेसे	0.122
16	लक्ष्मीनारायण पिता रूगनाथ साँधिया नि.ग्राम मनोहरपुरा	49	1.821	0.140
		22/1	0.999	0.050
17	दौलजी पिता दवीसिंह साँधिया नि.ग्राम. मनोहरपुरा	51/1/1	2.453	0.890
18	हरिसिंह पिता छीताजी साँधिया नि.ग्राम फूलखेड़ी	51/2/1	2.276	0.520
19	देवसिंह पिता बिहारीलाल, गीताबाई बेवा बिहारीलाल साँधिया नि.ग्राम. मनोहरपुरा	51/2/2	0.633	0.555
20	जसवंतसिंह, शिवपालसिंह, विजयपालसिंह, लाकेन्द्रसिंह, महिपालसिंह पिता रूगनाथसिंह, जतनकुंवरबाई पति रूगनाथसिंह राजपूत नि.ग्राम मनोहरपुरा	8/3/2	0.253	0.163
		8/3/3	1.277	0.877
योग ग्राम मनोहरपुरा			27.523	9.397

(3) ग्राम - जोगीपुरा तहसील राजगढ़

1	फतेहसिंह पिता नवल साँधिया नि. ग्राम मनोहरपुरा	42/2	0.885	0.230
2	नारान, गुलाब पिता सेवा, जतनबाई पुत्री सेवा जाति चमार नि. ग्राम फूलखेड़ी	42/101	0.114	0.001
3	लाखनसिंह, संतराबाई पिता बापूलाल साँधिया नि. ग्राम जोगीपुरा	44/1	1.435	0.260
		45/1	0.442	0.200
4	रामलाल पिता मांगीलाल, केसरबाई पति रामलाल चमार नि.ग्राम जोगीपुरा	76/20	1.500	0.320
5	घीसालाल, बापू, जगन्नाथ, हीरालाल पिता कालू जाति साँधिया नि. ग्राम जोगीपुरा	46/4	0.266	0.160
6	भगवानसिंह पिता पूरजी साँधिया नि.ग्राम जोगीपुरा	74/1/1	2.567	0.600
7	जगन्नाथ, किशनलाल, भगवानसिंह, नौरंगबाई, सरदारबाई, सम्मतबाई पिता पूरजी, प्यारीबाई बेवा पूरजी साँधिया नि.ग्राम जोगीपुरा	74/1/2	2.567 मेसे	0.320
8	नाथू, अमरा, मांगीलाल, जगन्नाथ, नारान पिता घीसा, देवबाई, धापूबाई पुत्री घीसा चमार निवासी ग्राम जोगीपुरा	74/97	0.557	0.130
9	रामप्रसाद पिता अमरा चमार नि.ग्राम. जोगीपुरा	76/13	0.600	0.180
10	गंगाराम पिता अमरा चमार नि.ग्राम जोगीपुरा	76/14	0.600	0.130
11	देवीसिंह पिता अमरा चमार नि.ग्राम जोगीपुरा	76/15	0.600	0.130
12	परवतसिंह पिता अमरा चमार नि.ग्राम जोगीपुरा	76/16	0.600	0.135
13	प्रेमसिंह पिता अमरा चमार नि. ग्राम. जोगीपुरा	76/17	0.600	0.220
14	गोपीलाल पिता भंवरलाल चमार नि.ग्राम. जोगीपुरा	76/18	1.518	0.300
15	रोडूलाल पिता जगन्नाथ चमार नि. जोगीपुरा	76/19	1.500	0.350
16	कृष्णाबाई पति सुरेन्द्रसिंह जाति साँधिया नि.राजगढ़	79	0.708	0.430

सं.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नम्बर	रकबा	प्रभावित भूमि
1	2	3	4	5
17	संजय पिता प्रतापसिंह जाति साँधिया नि. राजगढ़	80/6	3.288	0.500
18	श्रीमति अनोखीबाई पति प्रतापसिंह साँधिया नि. ग्रा. बिसन्या	80/5	3.288	0.540
		80/7	3.288	0.980
19	हीरालाल पिता भंवरलाल साँधिया नि. जोगीपुरा	42/1	1.622	0.420
20	मांगीलाल पिता भंवरलाल साँधिया नि. जोगीपुरा	42/3	0.885	0.190
21	करणसिंह पिता भंवरलाल साँधिया नि. जोगीपुरा	42/4	2.647	0.150
22	कमलसिंह, गोकुलबाई पिता बापूलाल साँधिया नि. जोगीपुरा	44/2	1.435	0.050
		45/2	0.443	0.260
योग ग्राम जोगीपुरा			31.388	7.186

(4) ग्राम - फतेहपुर तहसील राजगढ़

1	दोजली पिता गंगारामभील नि. फतेहपुर	1/2	2.744	0.570
2	धूलीबाई पुत्री मुन्नालाल भील नि. फतेहपुर	1/3	1.075	0.675
3	बद्रीलाल, कालूराम, चैनसिंह, शैतानबाई, मेवाबाई, कमलाबाई पिता रामसिंह, मु. कलाबाई बेवा रामसिंह भील नि. फतेहपुर	1/4	2.061	0.830
4	फूलसिंह, राजकुंवरबाई पिता बापूलाल, राधीबाई बेवा बापूलाल भील नि. ग्राम फतेहपुर	1/5	3.086	1.050
5	रामप्रसाद, करणसिंह, भगवानसिंह पिता धूलजी, मू. सरदारबाइ बेवा धूलजी भील नि. फतेहपुर	1/6	1.770	0.150
6	रामगोपाल, देवसिंह, बापू पिता शिवजी, मांगीबाई, अयोध्याबाई, कालीबाई पुत्री शिवजी, मू. गुलाब बाई बेवा शिवजी भील नि. फतेहपुर	1/7	1.733	0.525
7	विजयसिंह पिता लालजी भील नि. ग्राम फतेहपुर	2/1	0.500	0.100
8	गणपत पिता राजाराम भील नि. फतेहपुर	4	1.708	1.110
9	मोतीलाल पिता हीरालाल, रामकलाबाई पति मोतीलाल भील नि. फतेहपुर	10/1/1	0.800	0.800
10	बापूलाल पिता भोनजी, रेशमबाई पति बापूलाल भील नि. फतेहपुर	10/1/2	0.800	0.500
11	हीरालाल पिता भंवरजी भील नि. फतेहपुर	14/2	0.556	0.240
12	रामप्रसाद पिता लालजी भील नि. फतेहपुर	2/2	0.500	0.500
योग ग्राम फतेहपुर			17.333	7.050

(5) ग्राम - हरजीपुरा तहसील राजगढ़

1	भवरसिंह, मोहनकूवर, विरेन्द्रकूवर, मालती कूवर पिता देवीसिंह मु. अजयकूवर बेवा देवीसिंह राजपूत निवाी राजगढ़	1/1	1.011	0.811
		1/2	1.012	0.220
2	शांतिबाई बेवा प्रभुलाल भील नि. ग्राम हरजीपुरा	1/3	1.012	0.800
3	अमरसिंह पिता दौजली भील नि. हरजीपुरा	1/4	0.405	0.070
4	होकमसिंह, राजेन्द्रसिंह पिता शेरसिंह राजपूत नि. ग्राम हरजीपुरा	3	7.284	1.100
		4/1	2.655	1.790
		4/2	5.059	2.220
5	मांगीलाल, शिवलाल, मोतीलाल पिता गेंदा, कंकूबाई, गुलाबबाई, धनीबाई, गंगाबाई पुत्री गेंदा, भूरीबाई बेवा गेंदा भील नि. हरजीपुरा	5	8.182	1.200
6	सुशीलाबाई पति जगदीश साँधिया नि. कल्पोनी	10/2/1	2.323	1.080
7	रघुवीरसिंह पिता प्रेमनारायण साँधिया नि. कल्पोनी	10/2/2	2.000	1.025
8	रामकलाबाई पति बापूलाल साँधिय नि. कल्पोनी	10/2/3	2.000	0.600

सं.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नम्बर	रकबा	प्रभावित भूमि
1	2	3	4	5
9	लक्ष्मीनारायण पिता गोपाल, रेशमबाई पति लक्ष्मीनारायण भील नि. हरजीपुरा	10/8	1.906	0.750
10	गोपीलाल पिता मोहनलाल, शांतिबाई पति गोपीलाल भील नि. ग्राम हरजीपुरा	10/9	1.235	0.110
योग ग्राम हरजीपुरा			36.084	11.776

(6) ग्राम - बेड़ाकापुरा तहसील राजगढ़

1	मदनलाल पिता मेहताब गुर्जर नि.ग्र. बेड़ाकापुरा	43/2	5.654	2.460
2	रमेश पिता मांगीलाल लोड़ा नि. बेड़ाकापुरा	43/3/1	1.899	0.050
3	पीरूलाल पिता मांगीलाल लोड़ा नि. बेड़ाकापुरा	43/3/2	1.899 मेसे	0.050
4	सम्पतबाई पति मांगीलाल लोड़ा नि. बेड़ाकापुरा	43/4	0.126	0.126
5	गंगाराम पिता उंकार लोड़ा नि. बेड़ाका पुरा	47/1	0.506	0.506
		48/1	0.291	0.100
6	मेहताब पिता मोतीलाल गुर्जर नि. बेड़ाका पुरा	47/2	3.465	1.350
योग ग्राम बेड़ाकापुरा			11.941	4.642

(7) ग्राम - बहादुरपुरा तहसील राजगढ़

1	गंगाधर पिता भूरा गुर्जर नि. बहादुरपुरा	2	11.621	3.450
2	मसर्स जय श्रीराम डेवलपर्स द्वारा पार्टनर श्री गिरीश चन्द्र गुप्ता एवं अन्य एच.व्ही.एफ. कर्ता गिरीश कुमार गुप्ता जाति महाजन नि. राजगढ़	3/1	7.044	0.180
3	प्रदीपसिंह पिता देवीसिंह जाति राजपूत नि. बहादुरपुरा	4/1	2.769	0.400
		24	12.267	4.040
4	सरस्वती विद्या मन्दिर समिति राजगढ़	4/2/2	4.809	2.850
5	रमेशचन्द्र, रूपकुमार, राकेश, राजेश पिता उदितनारायण सकसैना निवासी राजगढ़	4/3	5.059	3.220
6	श्रीमति रेखा कुमार पति प्रवीणसिंह राजपूत नि. राजगढ़	25/1	8.548	0.210
7	मातण्ड सिंह पिता प्रवीणसिंह जाति राजपूत निवासी राजगढ़	25/2	8.548 मेसे	0.210
योग ग्राम बहादुरपुरा			52.117	14.560

(8) ग्राम - राजगढ़ तहसील राजगढ़

1	रोड़िया पिता ईशर गुर्जर निवासी बाराद्वारी	773/1	0.881	0.025
2	नारान पिता ईशर गुर्जर निवासी बाराद्वारी	774/1	2.795	0.840
3	हरि पिता इशर गुर्जर निवासी बाराद्वारी	773/2	0.839	0.689
4	परवेजखान पिता शहबाजखान हि. 75 पैसे, पहाड़सिंह पिता चन्द्रजी हि. 25 पैसे	774/2	1.606	1.012
5	बद्रीप्रसाद पिता गोकुलप्रसाद महाजन नि. राजगढ़	779/1/1/1	2.807	0.341
6	ज्योति पिता बद्रीप्रसाद गुप्ता महाजन नि. राजगढ़	779/1/1/2	2.807 मेसे	0.253
7	प्रीति पिता बद्रीप्रसाद गुप्ता महाजन नि. राजगढ़	779/1/1/3	2.807 मेसे	0.253
8	अंकुश पिता बद्रीप्रसाद गुप्ता महाजन नि. राजगढ़	779/1/1/4	2.807 मेसे	0.253

सं.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नम्बर	रकबा	प्रभावित भूमि
1	2	3	4	5
9	रामकृष्ण पिता ओंकारबक्ष, कृष्णाबाई पत्नि कैलाशनारायण, उषा पत्नि रामकृष्ण गुप्ता, राजेशकुमार पिता ओंकारबक्ष महाजन नि. राजगढ़	779/2/1	3.289	2.000
10	मदनलाल पिता कालू गर्जर निवासी प्रतापगंज	814/3/1	2.529	0.040
		814/5/1	2.782	0.700
11	कंवरलाल पिता अमरा गुर्जर नि. प्रतापगंज	814/4/1	2.529	1.600
		814/6	5.050	0.051
12	नरेन्द्रकुमार पिता प्रेमशंकर महाजन नि. राजगढ़	814/4/2	2.277	0.200
13	नरेन्द्रकुमार, विरेन्द्रकुमार पिता प्रेमशंकर, शीला पुत्री प्रेमशंकर जाति महाजन नि. राजगढ़	814/5/2	1.012	0.700
योग ग्राम राजगढ़			28.396	8.957

(9) ग्राम - गोपालपुरा तहसील राजगढ़

1	लालकुंवर बेवा भारतसिंह, लाखनसिंह पिता भारतसिंह राजपूत नि. गोपालपुरा	38	1.341	0.740
2	बृजमोहन पिता जगन्नाथदास राजपूत नि. गोपालपुरा	41	2.099	0.670
3	महेन्द्रसिंह पिता भंवरलाल राजपूत नि. गोपालपुरा	42/1	0.361	0.250
4	गुमानसिंह पिता रूगनाथसिंह राजपूत नि. गोपालपुरा	42/2	0.360	0.160
5	शिवराजसिंह पिता कालूसिंह राजपूत नि. गोपालपुरा	43/1/1	1.100	0.390
6	छोटोसिंह पिता कालूसिंह राजपूत नि. गोपालपुरा	43/2/3	0.284	0.150
7	उदयसिंह पिता नाथूसिंह राजपूत नि. गोपालपुरा	43/2/4	0.285	0.260
योग ग्राम गोपालपुरा			5.830	2.620

(10) ग्राम - सुल्तानपुरा तहसील राजगढ़

1	देवबाई पुत्री फत्ताजी सौंधिया नि. सुल्तानपुरा	403	0.708	0.320
		404	1.063	0.490
2	शिवनारायण, भारतसिंह, देवबाई, लाडबाई पिता रामलाल, मु. गजराबाई बेवा रामलाल, हरिसिंह, बनेसिंह, सुन्दरबाई, कमलाबाई पिता प्रभुलाल, जतनबाई पुत्री मोतीलाल, दरियावबाई बेवा मोतीलाल, चैनसिंह, हेरीबाई, सन्तराबाई पिता कंवरलाल, मु. दरियावबाई बेवा कंवरलाल, बजेसिंह, कालूसिंह, सम्पतबाई, लीलाबाई पिता दौलजी, लक्ष्मीचन्द, सुनीताबाई पिता अनारसिंह मु. पर्वतबाई बेवा अनारसिंह सवै जाति सौंधिया नि. सुल्तानपुरा	410	0.987	0.550
3	फूलसिंह पिता रतनलाल सौंधिया नि. सुल्तानपुरा	411/3	0.999	0.180
4	रूगनाथ, बापू पिता माधो सौंधिया नि. सुल्तानपुरा	412	0.544	0.150
5	इन्दरसिंह, पिता रोडजी, सौंधिया नि. सुल्तानपुरा	417/1	0.139	0.037
6	दरियावसिंह, पिता रोडजी, सौंधिया नि. सुल्तानपुरा	417/2	0.139	0.037
7	जादूसिंह पिता रोडजी, सौंधिया नि. सुल्तानपुरा	417/3	0.139	0.036
8	धूलजी पिता घीसालाल सौंधिया निवासी ग्राम सुल्तानपुरा	424/1	0.054	0.050
		425/1	0.910	0.120
		428/1	0.028	0.028
9	धीरपसिंह पिता घीसालाल सौंधिया नि. सुल्तानपुरा	424/2	0.054	0.050
		428/2	0.183	0.172
		426/1/4	0.139	0.070
10	रतनलाल, कंवरलाल पिता कनीराम, अमृत बाई बेवा कनीराम सौंधिया नि. सुल्तानपुरा	430	0.632	0.170

स.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नम्बर	रकबा	प्रभावित भूमि
1	2	3	4	5
11	जगन्नाथ पिता मोगजी सौधिया नि. सुल्तानपुरा	431	0.519	0.120
12	हरिसिंह पिता देवासिंह सौधिया नि. सुल्तानपुरा	432	0.557	0.150
13	प्रेमसिंह पिता लालसिंह, भंवरीबाई बेवा लालजी सौधिया नि. सुल्तानपुरा	433	0.468	0.140
14	प्रेम नारायण पिता प्यारजी, रेशमबाई, कंचनबाई, अजबबाई पिता प्यारजी, चतरुबाई बेवा प्यारजी सौधिया नि. सुल्तानपुरा	441	3.516	0.030
15	घीसालाल पिता अमानजी हि. 1/2, मांगीलाल पिता हीरालाल, बदीबाई बेवा हीरालाल हि. 1/2 सौधिया निवासी सुल्तानपुरा	559	1.176	0.470
16	रामलाल पिता भीमा सौधिया नि० सुल्तानपुरा	560	0.822	0.250
17	बापूलाल, प्रभुलाल पिता नाथू जाति सौधिया निवासी सुल्तानपुरा	588	0.683	0.350
18	बालूसिंह पिता प्रेमसिंह सौधिया नि. सुल्तानपुरा	589	0.696	0.025
19	शिव नारायण पिता मांगीलाल कुम्हार नि. सुल्तानपुरा	585	1.442	0.210
20	रामकरण पिता मांगीलाल कुम्हार नि. सुल्तानपुरा	592	0.822	0.160
21	बीरमसिंह पिता देवीराम तेली नि. सुल्तानपुरा	593/1	0.455	0.180
		594	0.392	0.280
22	पुरिया पिता जगन्नाथ तेली नि. सुल्तानपुरा	600	0.392	0.120
		602/1	0.126	0.126
		603/1	0.386	0.150
23	अयोध्याबाई बेवा हजारी, रामदयाल, हेमराज पिता हजारी खाती नि. सुल्तानपुरा	405/1	0.740	0.075
24	प्रेमसिंह, रमेश पिता भंवरलाल खाती नि. सुल्तानपुरा	405/2	0.740	0.075
25	बापूलाल पिता लालजी चमार नि. सुल्तानपुरा	408/2	0.772	0.400
26	लक्ष्मीचंद पिता अन्तरसिंह सौधिया नि. सुल्तानपुरा	420/1/2	0.399	0.092
27	कन्हैयालाल पिता हजारीलाल सौधिया नि. सुल्तानपुरा	420/1/1	0.399	0.018
28	दरियावसिंह पिता बापूलाल सौधिया नि. सुल्तानपुरा	421/1	0.132	0.048
		423/1	0.158	0.050
29	हिन्दुसिंह पिता बापूलाल सौधिया नि. सुल्तानपुरा	421/2	0.133	0.048
		423/2	0.158	0.050
30	नारायणसिंह पिता बापूलाल सौधिया नि. सुल्तानपुरा	421/3	0.133	0.048
		423/3	0.158	0.050
31	श्रीलाल पिता बापूलाल सौधिया नि. सुल्तानपुरा	421/4	0.133	0.048
		423/4	0.158	0.050
32	प्यारजी पिता भंवरजी सौधिया नि. सुल्तानपुरा	434/1	0.310	0.090
33	कुमरसिंह पिता मोहनलाल सौधिया नि. सुल्तानपुरा	434/2	0.103	0.030
34	तंवरसिंह पिता कुमरसिंह सौधिया नि. सुल्तानपुरा	434/3	0.207	0.060
35	रमकूबाई बेवा मांगिया, शैतानबाई, देवबाई पुत्रिया मांगिया चमार नि. सुल्तानपुरा	438/2	0.509	0.160

स.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नम्बर	रकबा	प्रभावित भूमि
1	2	3	4	5
36	भारतसिंह, पिता बापूलाल, सौधिया नि. सुल्तानपुरा	438/5/1	0.108	0.040
37	संतोषबाई बेवा नारायणसिंह सौधिया नि. सुल्तानपुरा	438/5/4	0.108	0.040
38	रामचन्द्र, पिता बापूलाल, सौधिया नि. सुल्तानपुरा	438/5/2	0.108	0.040
39	देवसिंह, पिता बापूलाल सौधिया नि. सुल्तानपुरा	438/5/3	0.108	0.040
40	धीरपसिंह पिता फतेहसिंह सौधिया नि. सुल्तानपुरा	438/7	0.432	0.160
41	बनेसिंह पिता फतेहसिंह सौधिया नि. सुल्तानपुरा	438/8	0.433	0.160
42	शिवसिंह पिता फतेहसिंह सौधिया नि. सुल्तानपुरा	438/6	0.432	0.080
43	जगन्नाथ, नवरंगबाई पिता भेरूसिंह सौधिया नि. सुल्तानपुरा	438/3	0.748	0.140
44	हरिसिंह पिता भेरूसिंह, सरदारबाई बेवा भेरूसिंह जाति सौधिया नि. सुल्तानपुरा	438/4	0.748	0.160
45	कुमेरसिंह -भेरूसिंह सौधिया नि. सुल्तानपुरा	438/1	0.749	0.150
46	कल्याणसिंह पिता रूगनाथ सौधिया नि. सुल्तानपुरा	440/1/2	0.805	0.250
47	जादूसिंह पिता मोनीसिंह सौधिया नि. सुल्तानपुरा	440/2	1.323	0.150
48	रघुवीरसिंह पिता मेनीसिंह सौधिया नि. सुल्तानपुरा	440/3/1/1	0.527	0.050
49	विजयसिंह पिता धूलजी सौधिया नि. सुल्तानपुरा	440/3/1/2	0.530	0.040
50	विजयसिंह पिता मांगीलाल सौधिया नि. सुल्तानपुरा	556/3/1	0.491	0.020
51	कंवरलाल पिता कनीराम सौधिया नि. सुल्तानपुरा	556/3/2	0.491	0.020
52	भगवानसिंह पिता प्रेमसिंह सौधिया नि. सुल्तानपुरा	556/3/3	0.618	0.020
53	भारतसिंह पिता रामलाल सौधिया नि. सुल्तानपुरा	556/1/2	0.898	0.100
54	शिवनारायण पिता रामलाल सौधिया न. सुल्तानपुरा	556/2	1.346	0.060
55	रामकरण पिता रमेश जाति सो. नि. सुल्तानपुरा	603/2	0.386	0.250
56	गोकुल, जगदीश, गणपत पिता मांगीलाल तेली नि. सुल्तानपुरा	604/1	0.016	0.016
		605/1	0.231	0.100
57	कनीराम पिता बावरू तेली नि. सुल्तानपुरा	605/2	0.230	0.140
58	केशरसिंह, पुरुषोत्तम, अशोक पिता रामनारायण, मांगीबाई बेवा रामनारायण तेली नि. सुल्तानपुरा	604/3	0.016	0.016
		605/3	0.231	0.120
59	रामप्रसाद पिता किशोर, धापूबाई बेवा किशोर तेली नि. सुल्तानपुरा	604/4	0.015	0.015
		605/4	0.231	0.210
60	लालजी, रतनलाल, भूलीबाई, गंगाबाई पिता मोतीलाल, प्रेम नारायण, रमेश, चतरबाई, कंचनबाई अजयबाई पिता प्यारजी, अंतरबाई, प्यारजी सौधिया नि. सुल्तानपुरा	590	1.000	0.215
योग ग्राम सुल्तानपुरा			37.871	9.415
महायोग			255.349	77.158

भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी राजगढ़ जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
तरूण कुमार पिथोड़े, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला नरसिंहपुर, मध्यप्रदेश एवं समुचित सरकार मध्यप्रदेश शासन एवं राजस्व विभाग

क्र. 173-भू-अर्जन-2016—

नरसिंहपुर, दिनांक 4 मई 2016

गाडरवारा सुपर थर्मल पावर परियोजना में कोल परिवहन हेतु रेल लाइन निर्माण के लिए निजि भूमि के अर्जन के लिए भू-अर्जन अधिनियम की धारा 108 (1, 2) के अन्तर्गत बेहतर प्रतिकर और पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन का फायदा लेने के लिए प्रभावित कुटुम्बों का विकल्प के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन

योजना का सार

1. **पुनर्वास अनुदान.**—ऐसा प्रभावित परिवार जो परियोजना के कारण विस्थापित होता हो उसको विस्थापन के समय पुनर्वास अनुदान रुपये 50000/- दिया जायेगा.
2. **विशेष पुनर्वास अनुदान (देय प्रतिकर के अतिरिक्त राशि)—**
 - अ. जमीन, वृक्षों तथा मकान का मुआवजा.—राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रतिकर अनुसार.
 - ब. प्रत्येक कृषक को उसकी अर्जित भूमि के लिए प्रति एकड़ के मान से इतनी अतिरिक्त राशि विशेष पुनर्वास अनुदान (एक्स प्रेशिया) के रूप में दी जाएगी कि उसे जमीन का मुआवजा, विशेष पुनर्वास अनुदान, अन्य स्थान पर जमीन खरीद पर स्टॉप शुल्क एवं पंजीकरण शुल्क एवं भूमि विकास राशि को मिलाकर अंसिचित भूमि के लिए रुपये 11.50 लाख प्रति एकड़ और सिंचित भूमि के लिए 14.50 लाख प्रति एकड़ मिले.
3. **विस्थापन के लिए परिवहन व्यय.**—रुपये 35000 प्रति विस्थापित परिवार को घरेलू सामान अन्यत्र ले जाने के लिए व्यय देय होगा.
4. **आवास हेतु भूखण्ड आदि का भूखण्ड क्रय या निर्माण हेतु राशि.**—ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित ऐसे आवास गृह जिसमें वह सामान्यतः निवास करता है के अनिवार्य अर्जन किये जाने की दशा में ऐसे प्रभावित परिवार को स्व-पुनर्स्थापन के लिए प्लॉट के एवज में नगद राशि रुपये 17500/- देय होगी.
5. **नियमित रोजगार के अवसर.**—नौकरी के एवज में एकमुश्त पुनर्वास अनुदान रुपये 350000/- प्रति एकड़ (न्यूनतम 300000/-) योजना की स्वीकृति की जाती है. यह राशि देय करने के पहले भू-स्वामी को एक त्रिपक्षीय अनुबंध संपादित करना होगा, कि प्राप्त राशि पूर्ण एवं अंतिम है एवं भविष्य में कोई राशि/नौकरी की मांग नहीं उठाई जायेगी और न ही मान्य होगी. संपादित अनुबंध जिला प्रशासन द्वारा साक्षी किया जावेगा.
6. **वरिष्ठ नागरिक, विकलांग, परित्यक्ता एवं विधवा के लिये पेंशन.**—प्रभावित परिवार पर आश्रित निःशक्तजन, विधवा, परित्यक्ता एवं 60 वर्ष अधिक आयु के सदस्य को भी पुनर्वास अनुदान रुपये 50000/- पृथक से दिया जायेगा. (पात्र व्यक्तियों की प्रमाणित सूची शासन द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी).
7. **अर्जन के समय फसल नुकसान.**—अर्जन के समय अर्जनीय भूमि से संभावित किसी प्रकार के नुकसान की भरपाई रुपये 20000/- प्रति एकड़ (गन्ने की फसल के लिए) और 10000/- प्रति एकड़ (अन्य फसल के लिए) की दर से एकमुश्त राशि देय होगी.
8. **पशुबाड़े के निर्माण हेतु.**—प्रत्येक प्रभावित परिवार जो वास्तव में विस्थापित हुआ हो तथा जिसके पास मवेशी हो, को पशु बाड़े के निर्माण के लिए 20000/- रुपये की वित्तीय सहायता दी जायेगी.

9. भूमिहीन विस्थापितों को विशेष आर्थिक अनुदान.—पात्र भूमिहीन कृषक राज्य सरकार द्वारा सत्यापन के पश्चात् राशि रुपये 125000/- देय होगी (पात्रता के आधार पर प्रमाणित सूची शासन द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी).

10. खेतों में आवागमन हेतु मार्ग.—एनटीपीसी द्वारा रेल पथ निर्माण में सामान्य आवागमन के जो भी मार्ग/रोड अवरूद्ध होंगे वहां पर पुल/पुलियों का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है. रेलवे पथ के दोनों ओर खेतों में आवागमन हेतु जमीन रखी गई है.

11. सिंचाई हेतु पाईप-लाईन निकालने की अनुमति.—सिंचाई के लिये पाईप लाईन निकालने हेतु अनुमति के लिए तकनीकी दृष्टि से विचार किया जावेगा तथा जहां संभव हो वहां पर अनुमति दी जावेगी. यह अनुमति रेल पथ परियोजना के लिए भू-अर्जन से प्रभावित भू-स्वामियों को वर्तमान में प्रभावित हो रहा पाईप लाईन के लिए ही विचाराधीन होगी.

12. सामुदायिक विकास कार्य.—आवश्यकतानुसार एवं शासन के निर्देश पर सामुदायिक विकास कार्य कराये जायेंगे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सिबि चक्रवर्ती एम., कलेक्टर एवं समुचित सरकार.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बड़वानी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

बड़वानी, दिनांक 11 अप्रैल 2016

क्र. 1665-भू-अर्जन-2016-रा.प्र.क्र. 12ए-82-2015-16.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक (1) में ग्राम बजट्टा बुजुर्ग, तहसील बड़वानी जिला बड़वानी में इंदिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर की तलुन माइनर की उपनहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्यों हेतु आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार, सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है.

अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्र. 30 सन् 2013) की धारा 11 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है:—

अनुसूची (1)

ग्राम : बजट्टा बुजुर्ग, तहसील—बड़वानी

स. क्र.	विवरण	कुल रकबा (हेक्टेयर)				अर्जित रकबा (हेक्टेयर)			
		सिंचित	असिंचित	पड़त	कुल	सिंचित	असिंचित	पड़त	कुल
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	ग्राम : बजट्टा बुजुर्ग	9.480	0.400	0.087	9.967	0.677	—	—	0.677

अनुसूची (2)

ग्राम : बजट्टा बुजुर्ग, तहसील, बड़वानी के इंदिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर की तलुन माइनर की उपनहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्यों हेतु आवश्यक वर्णित भूमि जो आवश्यक है

स. क्र.	कृषक का नाम	खसरा नंबर	कुल भूमि का रकबा (हेक्टेयर)	अर्जित रकबा भूमि (हेक्टेयर)			
				सिंचित	असिंचित	पड़त	कुल
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	शांतिलाल पिता वाला, जाति जाट, निवासी-तलुन खुर्द.	38, 57/2	3.412	0.210	—	—	0.210

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2	रामलाल, रवि पिता लक्ष्मण, जाति सिर्वी, निवासी-लोनसरा खुर्द.	49/3, 50/1	2.631	0.250	—	—	0.250
3	नैनालाल पिता घिस्या, जाति सिर्वी, निवासी-लोनसरा खुर्द.	49/4क, 51/1	1.578	0.075	—	—	0.075
4	अम्बाराम पिता जगदीश, जाति सिर्वी निवासी-लोनसरा खुर्द.	49/4ख, 51/2	2.346	0.142	—	—	0.142
योग . .			9.967	0.677	—	—	0.677

नोट—(1) भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा घाटी विकास संभाग क्रमांक-11 बड़वानी के कार्यालय में कार्यलयीन समय में किया जा सकता है.

(2) कोई भी व्यक्ति अधिसूचना की प्रकाशन के तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना के विनिर्दिष्ट भूमि का कलेक्टर (भू-अर्जन) बड़वानी की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लगंम सृजित नहीं करेगा.

(3) सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत नहर निर्माण का पर्यावरणीय समाघात का अध्ययन किया गया है अतः धारा 6 की उपधारा (2 'क') के अनुसार सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारंश प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है.

(4) भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन के उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 10 के प्रावधान भी सिंचाई परियोजना होने के कारण लागू नहीं होंगे.

(5) इस प्रारंभिक अधिसूचना वर्णित भूमि के क्षेत्र उपयुक्तता एवं औचित्य के संबंध में हितबद्ध व्यक्ति धारा 15 (1) के अधीन 60 दिवस के भीतर भू-अर्जन अधिकारी के कार्यालय में आक्षेप प्रस्तुत कर सकते हैं.

(6) समुचित सरकार की वेबसाइट www.barwani.nic.in पर भी अपलोड किया गया है.

बड़वानी, दिनांक 12 अप्रैल 2016

क्र. 1692-भू-अर्जन-2016-रा.प्र.क्र. 16ए-82-2015-16.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक (1) में ग्राम तलुन खुर्द, प.ह.नं. 19 तहसील बड़वानी जिला बड़वानी में इंदिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर की वितरण शाखा एवं उसकी उपनहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्यों हेतु आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार, सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है.

अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्र. 30 सन् 2013) की धारा 11 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है:—

अनुसूची (1)

ग्राम : तलुन खुर्द, तहसील—बड़वानी

स. क्र.	विवरण	कुल रकबा (हेक्टेयर)				अर्जित रकबा (हेक्टेयर)			
		सिंचित	असिंचित	पड़त	कुल	सिंचित	असिंचित	पड़त	कुल
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	ग्राम : तलुन खुर्द	12.260	3.735	0.083	16.078	1.245	0.277	—	1.522

अनुसूची (2)

ग्राम : तलुनखुर्द, प. ह. नं. 19, तहसील बड़वानी, जिला बड़वानी के इंदिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर की वितरण शाखा एवं उसकी उपनहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्यों हेतु आवश्यक वर्णित भूमि जो आवश्यक है

स. क्र.	कृषक का नाम	खसरा नंबर	कुल भूमि का रकबा (हेक्टेयर)	अर्जित भूमि (हेक्टेयर)			
				सिंचित	असिंचित	पड़त	कुल
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	कोलू पिता शोभाराम शांतिलाल पिता मगन सुमन बेवा मगन जाति भारूड निवासी-तलुन खुर्द.	6/6, 18/4	1.433	—	0.092	—	0.092
2	घीस्या पिता माधव जगदीश पिता घीस्या जाति भारूड निवासी-तलुनखुर्द.	10	1.542	0.305	—	—	0.305
3	चुन्नीलाल काशीराम भागीरथ शिवराम देवराम मयाराम उदयराम कुवरबाई पिता पोमडीया गुलाबबाई बेवा पोमडीया जाति भारूड निवासी-तलुनखुर्द.	16/2	2.270	0.165	—	—	0.165
4	उधव पिता बाला धुपाबाई बेवा बाला जाति भारूड, निवासी-बजटाखुर्द.	17/1/क	2.655	0.310	—	—	0.310
5	दुदालाल पिता मेघन रूकमाबाई बेवा मेघन जाति भारूड निवासी-बजटाखुर्द.	17/1/ख	1.149	0.165	—	—	0.165
6	सुमनबाई पति बाबुसिंग जाति तडवी निवासी-तलुन बुजुर्ग.	18/1/1क, 18/1/1ख	2.225	—	0.185	—	0.185
7	दयाराम पिता मेघन जाति भारूड निवासी-बजटा खुर्द.	18/1/2	0.810	0.050	—	—	0.050
8	तेजा गोगलबाई पिता रूखडिया जाति जाट, निवासी-तलुन बुजुर्ग.	33/6, 36/2	2.537	0.180	—	—	0.180
9	मंशाराम समोती पिता करसन भागलबाई बेवा करसन, जाति भारूड निवासी-बजटा खुर्द.	80/2	1.457	0.070	—	—	0.070
योग . .		16.078	1.245	0.277	—	1.522	

नोट.—(1) भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा घाटी विकास संभाग क्रमांक-11 बड़वानी के कार्यालय में कार्यलयीन समय में किया जा सकता है.

(2) कोई भी व्यक्ति अधिसूचना की प्रकाशन के तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना के विनिर्दिष्ट भूमि का कलेक्टर (भू-अर्जन) बड़वानी की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लगंम सृजित नहीं करेगा.

(3) सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत नहर निर्माण का पर्यावरणीय समाघात का अध्ययन किया गया है अतः धारा-6 की उपधारा 2 'क' के अनुसार सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारंश प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है।

(4) भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन के उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 10 के प्रावधान भी सिंचाई परियोजना होने के कारण लागू नहीं होंगे।

(5) इस प्रारंभिक अधिसूचना वर्णित भूमि के क्षेत्र उपयुक्तता एवं औचित्य के संबंध में हितबद्ध व्यक्ति धारा 15 (1) के अधीन 60 दिवस के भीतर भू-अर्जन अधिकारी के कार्यालय में आक्षेप प्रस्तुत कर सकते हैं

(6) समुचित सरकार की वेबसाइट www.barwani.nic.in पर भी अपलोड किया गया है।

क्र. 1693-भू-अर्जन-2016-रा.प्र.क्र. 17अ-82-2015-16.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में ग्राम तलुन बुजुर्ग, तहसील बड़वानी, जिला बड़वानी में इंदिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर की तलुन वितरण शाखा एवं उसकी उपनहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्यों हेतु आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार, सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची-2 में उल्लेखित है।

अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्र. 30 सन् 2013) की धारा 11 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है:—

अनुसूची (1)

ग्राम : तलुन बुजुर्ग, तहसील—बड़वानी

स. क्र.	विवरण	कुल भूमि का रकबा (हेक्टेयर)				अर्जित भूमि (हेक्टेयर)			
		सिंचित	असिंचित	पड़त	कुल	सिंचित	असिंचित	पड़त	कुल
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	ग्राम : तलुन बुजुर्ग	60.246	4.100	0.572	64.918	5.336	0.470	0.064	5.870

अनुसूची (2)

ग्राम : तलुन बुजुर्ग, तहसील बड़वानी, जिला बड़वानी के इंदिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर की तलुन वितरण शाखा एवं उसकी उपनहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्यों हेतु आवश्यक वर्णित भूमि जो आवश्यक है

स. क्र.	कृषक का नाम	खसरा नंबर	कुल भूमि का रकबा (हेक्टेयर)	अर्जित भूमि (हेक्टेयर)			
				सिंचित	असिंचित	पड़त	कुल
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	श्री राममंदिर तलुन बुजुर्ग व्यवस्थापक, जिला अध्यक्ष महोदय, बड़वानी.	32	3.586	0.035	-	-	0.035
2	मेघन पिता डोंगर जाति भारूड, निवासी तलुन खुर्द.	36/2	1.619	0.480	-	-	0.480
3	धर्मेश पिता श्रीराम, विधाबाई बेवा श्रीराम, धीरज, रजनी पिता श्रीराम ना. बा. गा. विधाबाई बेवा श्रीराम, जाति मारू, निवासी तलुन खुर्द.	44	4.832	0.430	-	-	0.430

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
4	तेजा पिता रूखडिया, जाति जाट, निवासी तलुन बुजुर्ग.	45/1	1.619	0.120	-	-	0.120
5	भारत पिता रूखडिया जाति जाट, निवासी तलुन बुजुर्ग.	45/2	4.888	0.060	-	-	0.060
6	विजय पिता नत्थु जाति मारू, निवासी तलुन बुजुर्ग.	47/3	1.692	0.100	-	-	0.100
7	संतोष पिता नत्थु जाति मारू, निवासी तलुन बुजुर्ग.	47/4	1.691	0.130	-	-	0.130
8	फुलचंद पिता नत्थु, जाति मारू निवासी तलुन बुजुर्ग.	47/5	1.692	0.170	-	-	0.170
9	लालचंद पिता नाना, जाति जाट, निवासी बजट्टा खुर्द.	49/1	1.214	0.195	-	-	0.195
10	नरेश पिता सीताराम, जाति जाट, निवासी तलुन बुजुर्ग.	49/7	0.809	0.130	-	-	0.130
11	राजाराम पिता करसन, जाति अहिर, निवासी तलुन बुजुर्ग.	35/2 35/3 51	6.953	0.205	-	-	0.205
12	भागीरथ पिता भगवान, जाति मारू, निवासी तलुन बुजुर्ग.	52/3	1.433	0.385	-	0.015	0.400
13	बसंत पिता बाला, जाति जाट, साकिन देह.	52/2	0.405	0.040	-	-	0.040
14	भुरेलाल पिता वाला जाति जाट, निवासी बजट्टा खुर्द.	54/1	1.801	0.300	-	-	0.300
15	जानकी बेवा मांगीलाल, जाति भारुड निवासी तलुन बुजुर्ग.	56/4	3.237	0.255	-	-	0.255
16	राकेश, मुकेश पिता मयाराम जाति भारुड, निवासी तलुन बुजुर्ग.	56/6	1.214	-	0.360	-	0.360
17	जानी पिता बाला, जाति भारुड, निवासी तलुन बुजुर्ग.	56/7	1.619	-	0.110	0.010	0.120
18	मोहन पिता भगवान जाति जाट, निवासी तलुन बुजुर्ग.	57 58/2	5.200	0.540	-	-	0.540

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
19	संतोष पिता भगवान, जाति जाट, निवासी तलुन बुजुर्ग.	58/1	3.691	0.190	-	-	0.190
20	लक्ष्मण पिता उधव, जाति मारू निवासी बजट्टा खुर्द.	75/1	1.437	0.250	-	0.010	0.260
21	दिलीप, सरोज पिता विट्टल जाति जाट, निवासी तलुन बुजुर्ग.	70/2 74 75/2 75/3	8.240	0.485	-	-	0.485
22	रेखा पति राजेन्द्र, जाति कलाल, निवासी-बड़वानी.	75/4	1.234	0.226	-	0.014	0.240
23	संजय पिता हरिराम, कुन्ताबाई बेवा हरिराम, जानकी बेवा रामा, जाति अहिर, निवासी तलुन बुजुर्ग.	76/1 77/4/1	1.505	0.125	-	0.015	0.140
24	कालुराम, रमेश पिता, दयाराम अहिर निवासी बगुद.	76/2, 77/4/2	1.688	0.170	-	-	0.170
25	परसराम पिता वाला जाति जाट निवासी तलुन बुजुर्ग.	77/3 78/2	1.619	0.315	-	-	0.315
योग . .			64.918	5.336	0.470	0.064	5.870

नोट.—(1) भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा घाटी विकास संभाग क्रमांक-11 बड़वानी के कार्यालय में कार्यलयीन समय में किया जा सकता है.

(2) कोई भी व्यक्ति अधिसूचना की प्रकाशन के तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना के विनिर्दिष्ट भूमि का कलेक्टर (भू-अर्जन) बड़वानी की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लगंम सृजित नहीं करेगा.

(3) सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत नहर निर्माण का पर्यावरणीय समाघात का अध्ययन किया गया है अतः धारा 6 की उपधारा (2 'क') के अनुसार सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारंश प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है.

(4) भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन के उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 10 के प्रावधान भी सिंचाई परियोजना होने के कारण लागू नहीं होंगे.

(5) इस प्रारंभिक अधिसूचना वर्णित भूमि के क्षेत्र उपयुक्तता एवं औचित्य के संबंध में हितबद्ध व्यक्ति धारा 15 (1) के अधीन 60 दिवस के भीतर भू-अर्जन अधिकारी के कार्यालय में आक्षेप प्रस्तुत कर सकते हैं.

(6) समुचित सरकार की वेबसाइट www.barwani.nic.in पर भी अपलोड किया गया है.

क्र. 1691-भू-अर्जन-2016-रा.प्र.क्र. 18ए-82-2015-16.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक (1) में ग्राम रेहगुन, प. ह. नं. 25, तहसील बड़वानी जिला बड़वानी में इंदिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर की लोनसरा खुर्द माइनर-1 एवं उसकी उपनहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्यों हेतु आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार, सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है।

अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उच्च प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्र. 30 सन् 2013) की धारा 11 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है:—

अनुसूची (1)

ग्राम : रेहगुन, तहसील—बड़वानी

स. क्र.	विवरण	कुल रकबा (हेक्टेयर)				अर्जित रकबा (हेक्टेयर)			
		सिंचित	असिंचित	पड़त	कुल	सिंचित	असिंचित	पड़त	कुल
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	ग्राम : रेहगुन	7.906	0.070	0.051	8.027	0.834	-	-	0.834

अनुसूची (2)

ग्राम : रेहगुन, प. ह. नं. 25, तहसील, बड़वानी के इंदिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर की लोनसरा खुर्द माइनर-1 एवं उसकी उपनहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्यों हेतु आवश्यक वर्णित भूमि जो आवश्यक है।

स. क्र.	कृषक का नाम	खसरा नंबर	कुल भूमि का रकबा (हेक्टेयर)	अर्जित रकबा भूमि (हेक्टेयर)			
				सिंचित	असिंचित	पड़त	कुल
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	खेमा, गीता पिता नैना धापुबाई बेवा नैना, विकास पिता उदयराम, शांता बेवा उदयराम अमृत अरुण पिता हिरा हिरु बेवा हिरा जाति सिर्वी, निवासी-लोनसरा.	139/2	0.162	0.050	-	-	0.050
2.	गोपाल पिता दुधा, जाति सिर्वी, निवासी-रेहगुन.	139/1/2, 140/1	2.016	0.082	-	-	0.082
3	उत्तम पिता बाबू, जाति सिर्वी, निवासी-रेहगुन.	140/2/1	1.008	0.075	-	-	0.075
4	गोतम पिता बाबू, जाति सिर्वी, निवासी-रेहगुन.	140/2/2	1.008	0.090	-	-	0.090
5	राजेन्द्र पिता निमजी, जाति सिर्वी, निवासी-रेहगुन.	145/1/2	2.489	0.152	-	-	0.152
6	बाबु पिता मुला, जाति सिर्वी, निवासी-रेहगुन.	145/2/2	0.535	0.075	-	-	0.075

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
7	खेमा, गीता पिता नैना धापुबाई बेवा नैना, विकास पिता उदयराम, शांता बेवा उदयराम अमृत अरुण पिता हिरा हिरु बेवा हिरा जाति सिर्वी, निवासी-लोनसरा.	145/4	0.809	0.310	-	-	0.310
योग . .			8.027	0.834	-	-	0.834

नोट.—(1) भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा घाटी विकास संभाग क्रमांक-11 बड़वानी के कार्यालय में कार्यलयीन समय में किया जा सकता है।

(2) कोई भी व्यक्ति अधिसूचना की प्रकाशन के तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना के विनिर्दिष्ट भूमि का कलेक्टर (भू-अर्जन) बड़वानी की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लगंम सृजित नहीं करेगा।

(3) सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत नहर निर्माण का पर्यावरणीय समाघात का अध्ययन किया गया है अतः धारा 6 की उपधारा (2 'क') के अनुसार सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारंश प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है।

(4) भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन के उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 10 के प्रावधान भी सिंचाई परियोजना होने के कारण लागू नहीं होंगे।

(5) इस प्रारंभिक अधिसूचना वर्णित भूमि के क्षेत्र उपयुक्तता एवं औचित्य के संबंध में हितबद्ध व्यक्ति धारा 15 (1) के अधीन 60 दिवस के भीतर भू-अर्जन अधिकारी के कार्यालय में आक्षेप प्रस्तुत कर सकते हैं।

(6) समुचित सरकार की वेबसाइट www.barwani.nic.in पर भी अपलोड किया गया है।

क्र. 1666-भू-अर्जन-2016-रा.प्र.क्र. 14ए-82-2015-16.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक (1) में ग्राम लोनसरा खुर्द, प. ह. नं. 21, तहसील बड़वानी जिला बड़वानी में इंदिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर की लोनसरा खुर्द माइनर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्यों हेतु आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार, सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है।

अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्र. 30 सन् 2013) की धारा 11 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है:—

अनुसूची (1)
ग्राम : लोनद्वरा खुर्द, तहसील—बड़वानी

स. क्र.	विवरण	कुल रकबा (हेक्टेयर)				अर्जित रकबा (हेक्टेयर)			
		सिंचित	असिंचित	पड़त	कुल	सिंचित	असिंचित	पड़त	कुल
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	ग्राम : लोनसरा खुर्द	46.076	0.996	0.720	47.792	5.661	0.260	0.095	6.016

अनुसूची (2)

ग्राम : लोनसरा खुर्द, प. ह. नं. 21, तहसील, बड़वानी के इंदिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर की लोनसरा खुर्द माइनर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्यों हेतु आवश्यक वर्णित भूमि जो आवश्यक है.

स. क्र.	कृषक का नाम	खसरा नंबर	कुल भूमि का रकबा (हेक्टेयर)	अर्जित भूमि (हेक्टेयर)			
				सिंचित	असिंचित	पड़त	कुल
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	राजु पिता घिस्या, जाति सिर्वी, निवासी-लोनसरा खुर्द.	9/1	1.404	0.040	-	-	0.040
2	सखाराम पिता घिस्या, जाति भीलाला, निवासी-लोनसरा खुर्द.	11/1/1क	1.012	0.105	-	-	0.105
3	सोहन पिता लुणा, जाति सिर्वी, निवासी-लोनसरा खुर्द.	11/1/3 11/2 11/3	2.951	0.560	-	-	0.560
4	शंकर पिता लुणा, जाति सिर्वी, निवासी-लोनसरा खुर्द.	11/4, 13	2.950	0.140	-	-	0.140
5	मिश्रीलाल पिता हीरा, जाति भीलाला, निवासी-लोनसरा खुर्द.	11/5	1.255	0.040	-	-	0.040
6	दयाराम पिता सनपत, जाति भीलाला, निवासी-लोनसरा खुर्द.	11/8	0.538	0.165	-	-	0.165
7	पन्नालाल पिता घिस्या, जाति भीलाला, निवासी-लोनसरा बुजुर्ग.	11/9	0.688	0.032	-	-	0.032
8	मांगीलाल, शंकर, नेतुबाई पिता रामा तेजुबाई, बेवा रामा, जाति सिर्वी, निवासी-लोनसरा खुर्द.	14/1 43/2 44/1/1	2.031 0.109 1.404	0.250 - 0.308	- - -	- 0.075 -	0.250 0.075 0.308
9	लूणा पिता गुमना, जाति सिर्वी, निवासी-लोनसरा खुर्द.	14/2	2.016	0.105	-	-	0.105
10	शांतिलाल पिता मुलचन्द, जाति दर्जी, निवासी-लोनसरा खुर्द.	21/3 22/11	1.011	0.300	-	0.010	0.310
11	रणजीत पिता खुशाल, सुभद्रा पति रणजीत, जाति भीलाला, निवासी-रेहगुन.	22/18	0.600	-	0.050	-	0.050
12	रमेश पिता उकार, जाति सिर्वी, निवासी-लोनसरा खुर्द.	23/1	0.951	0.118	-	-	0.118

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
13	खेमा पिता लुणा, जाति सिर्वा, निवासी-लोनसरा खुर्द.	23/8	0.850	0.145	-	-	0.145
14	मना, पुरा पिता हामला, जाति सिर्वा, निवासी-लोनसरा खुर्द.	29, 30/2, 30/3, 30/4	2.477	0.335	-	-	0.335
15	गोपाल, जगदीश पिता माधव, जाति सिर्वा, निवासी-लोनसरा खुर्द.	30/6/2, 32/3 32/8 43/6 55/1	1.173 1.157 0.146 0.615	0.100 0.022 - 0.150	- - 0.045 -	- - - -	0.100 0.022 0.045 0.150
16	भगवान पिता जीवा, जाति सिर्वा, निवासी-लोनसरा खुर्द.	30/6/3, 32/2, 90/9	1.327	0.150	-	-	0.150
17	बालु पिता निमा, जाति सिर्वा, निवासी-लोनसरा खुर्द.	30/6/4 32/10	0.640 1.372	- 0.365	0.120 -	- -	0.120 0.365
18	भगवान पिता घिसा, जाति सिर्वा, निवासी-लोनसरा खुर्द.	30/7, 31/4	0.259	0.052	-	-	0.052
19	काना पिता नीमा, जाति सिर्वा, निवासी-लोनसरा खुर्द.	32/9	1.368	0.062	-	-	0.062
20	धन्नालाल पिता जीवा, जाति सिर्वा, निवासी-लोनसरा खुर्द.	32/11, 90/14	0.595	0.200	-	-	0.200
21	गोपाल पिता मना, जाति सिर्वा, निवासी-लोनसरा खुर्द.	39/2 40/1	0.809 1.890	0.092 0.130	- -	- -	0.092 0.130
22	शंकर पिता बाला, जाति सिर्वा, निवासी-लोनसरा खुर्द.	40/4	0.372	0.060	-	-	0.060
23	श्री माताजी मंदिर, सिर्वा पंच, लोनसरा खुर्द.	40/5	0.688	0.235	-	-	0.235
24	मोहन पिता बाला, जाति सिर्वा, निवासी-लोनसरा खुर्द.	40/6	0.377	0.068	-	-	0.068
25	हरी पिता हामा, जाति सिर्वा, निवासी-लोनसरा खुर्द.	40/8	0.405	0.015	-	-	0.015
26	विनोद कुमार पिता लुणाजी, जाति सिर्वा, निवासी-लोनसरा खुर्द.	40/9	0.405	0.060	-	-	0.060

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
27	जीवा पिता नाराण, जाति सिर्वा, निवासी-लोनसरा खुर्द.	43/1	0.154	-	0.035	-	0.035
28	मुलीबाई बेवा नीमा, जाति सिर्वा, निवासी-लोनसरा खुर्द.	43/7	0.336	-	0.010	-	0.010
29	रमेश पिता नैना, जाति सिर्वा, निवासी-लोनसरा खुर्द.	44/3	0.607	0.090	-	-	0.090
30	बद्री पिता नीमा, जाति सिर्वा, निवासी-लोनसरा खुर्द.	55/4	0.676	0.120	-	-	0.120
31	रामलाल पिता हीरा, जाति सिर्वा, निवासी-लोनसरा खुर्द.	56/1	1.821	0.150	-	0.010	0.160
32	नैना पिता रन्छोड़, जाति सिर्वा, निवासी-लोनसरा खुर्द.	56/2, 57/2	1.716	0.260	-	-	0.260
33	भरत पिता रामलाल, जाति सिर्वा, निवासी-लोनसरा खुर्द.	56/4	1.744	0.160	-	-	0.160
34	बालु पिता हेमा, जाति सिर्वा, निवासी-लोनसरा खुर्द.	57/1क	1.073	0.110	-	-	0.110
35	घीस्या पिता हेमा, जाति सिर्वा, निवासी-लोनसरा खुर्द.	57/1ख	0.971	0.100	-	-	0.100
36	दुधा पिता मोती, जाति सिर्वा, निवासी-लोनसरा खुर्द.	57/1ग	1.162	0.105	-	-	0.105
37	दिलीप, कमल, सुनिता, पिता नैना जाति सिर्वा, निवासी-लोनसरा खुर्द.	57/1घ	1.246	0.097	-	-	0.097
38	धना पिता दगडु, जाति भीलाला, निवासी-लोनसरा खुर्द.	93/1	0.441	0.065	-	-	0.065
योग . .			47.792	5.661	0.260	0.095	6.016

नोट.—(1) भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा घाटी विकास संभाग क्रमांक-11 बड़वानी के कार्यालय में कार्यलयीन समय में किया जा सकता है.

(2) कोई भी व्यक्ति अधिसूचना की प्रकाशन के तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना के विनिर्दिष्ट भूमि का कलेक्टर (भू-अर्जन) बड़वानी की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लगंम सृजित नहीं करेगा.

(3) सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत नहर निर्माण का पर्यावरणीय समाघात का अध्ययन किया गया है अतः धारा-6 की उपधारा 2 'क' के अनुसार सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारंश प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है।

(4) भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन के उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 10 के प्रावधान भी सिंचाई परियोजना होने के कारण लागू नहीं होंगे।

(5) इस प्रारंभिक अधिसूचना वर्णित भूमि के क्षेत्र उपयुक्तता एवं औचित्य के संबंध में हितबद्ध व्यक्ति धारा 15 (1) के अधीन 60 दिवस के भीतर भू-अर्जन अधिकारी के कार्यालय में आक्षेप प्रस्तुत कर सकते हैं।

(6) समुचित सरकार की वेबसाइट www.barwani.nic.in पर भी अपलोड किया गया है।

क्र. 1667-भू-अर्जन-2016-रा.प्र.क्र. 15ए-82-2015-16.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में ग्राम लोनसरा बुजुर्ग, तहसील बड़वानी जिला बड़वानी में इंदिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर की तलुन वितरण शाखा एवं उसकी उपनहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्यों हेतु आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार, सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची-2 में उल्लेखित है।

अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्र. 30 सन् 2013) की धारा 11 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है:—

अनुसूची (1)

ग्राम : लोनसरा बुजुर्ग, तहसील—बड़वानी

स. क्र.	विवरण	कुल रकबा (हेक्टेयर)				अर्जित रकबा (हेक्टेयर)			
		सिंचित	असिंचित	पड़त	कुल	सिंचित	असिंचित	पड़त	कुल
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	ग्राम : लोनसरा बुजुर्ग	58.537	14.156	6.765	79.457	7.822	2.090	1.185	11.097

अनुसूची (2)

ग्राम : लोनसरा बुजुर्ग, तहसील, बड़वानी में इंदिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर की तलुन वितरण शाखा एवं उसकी एवं उसकी उपनहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्यों हेतु आवश्यक वर्णित भूमि जो आवश्यक है

स. क्र.	कृषक का नाम	खसरा नंबर	कुल भूमि का रकबा (हेक्टेयर)	अर्जित भूमि (हेक्टेयर)			
				सिंचित	असिंचित	पड़त	कुल
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	मोहन पिता धना, अनुबाई, सुन्दरबाई बेवा धना, जाति सिर्वी, साकिन-लोनसरा खुर्द.	5 7 8 55/2 55/3	4.868	0.100	-	-	0.100
2	मोती पिता हेमा, जाति सिर्वी, साकिन-लोनसरा खुर्द.	11/1 16/1	3.492	0.240	-	0.010	0.250

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
3	कमल पिता दामा, जाति सिर्वी, साकिन-लोनसरा खुर्द.	11/2 12/1	1.983	0.340	-	-	0.340
4	नानुराम पिता हगरिया, जाति भिलाला, निवासी-लोनसरा खुर्द.	11/3	1.303	-	0.320	-	0.320
5	गेंदालाल, मोहन पिता देवीसिंग, राजेश, गायत्री, कविता पिता मांगीलाल, अ. पा.क. कला बेवा मांगीलाल, जाति भिलाला, पता साकिन-लोनसरा खुर्द.	11/4	2.080	-	-	0.530	0.530
6	बुदा, गोपाल, बाबु, अम्बाराम, जानकी, फुन्दा पिता मंगत्या, प्यारी बेवा मंगत्या जाति भिलाला, निवासी-ग्राम	11/5	2.833	-	0.200	0.070	0.270
7	दामा पिता लाला जाति सिर्वी, साकिन-लोनसरा खुर्द.	11/6	0.405	0.300	-	-	0.300
8	हिरालाल पिता हेमा, जाति सिर्वी, निवासी-लोनसरा खुर्द.	11/7 16/4	3.885	0.100	-	0.010	0.110
9	सीताराम पिता हगरिया जाति भिलाला, साकिन-लोनसरा खुर्द.	11/8	1.530	-	0.160	-	0.160
10	दिनेश पिता दामा, जाति सिर्वी, साकिन-लोनसरा खुर्द.	12/2,13 14/2 14/3 16/2	1.983	0.150	-	-	0.150
11	दामा पिता लाला जाति सिर्वी, पता साकिन-लोनसरा खुर्द.	15/1	0.206	0.206	-	-	0.206
12	दामा पिता लाला जाति सिर्वी, पता साकिन-लोनसरा खुर्द.	15/2 16/3	2.347	0.080	-	-	0.080
13	मोहन पिता धना, अनुबाई, सुन्दरबाई बेवा धना, जाति सिर्वी, साकिन-लोनसरा खुर्द.	15/3 17 18	4.472	0.460	-	-	0.460
14	शांतिलाल पिता बाबू, जाति भिलाला, पता साकिन देह	20/1 20/2 23	0.806	0.140	-	-	0.140

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
15	जगदीश पिता बाबू जाति भिलाला, पता निवासी ग्राम	21 36/2	0.462	0.150	-	-	0.150
16	मोहन पिता धना जाति सिर्वी, पता निवासी लोनसरा खुर्द.	55/1/2 55/1/3	1.894	-	-	0.450	0.450
17	शंकर, सोहन पिता गोपाल, जाति सिर्वी, साकिन-लोनसरा खुर्द.	56/1 57/1	1.578	0.760	-	-	0.760
18	शंकर, भीमा पिता रन्छोड़, जाति सिर्वी, साकिन-लोनसरा खुर्द.	58/1 59/2 60/5	2.687	0.300	-	-	0.300
19	लोकेश पिता लक्ष्मण जाति सिर्वी, साकिन-लोनसरा खुर्द.	59/1	1.805	0.260	-	-	0.260
20	मोहन पिता रामा, जाति सिर्वी, साकिन-लोनसरा खुर्द.	59/3 60/6 75/3 76	3.497	0.810	-	0.025	0.835
21	दिनेश पिता मोहन जाति सिर्वी, निवासी ग्राम.	59/5	0.809	0.030	-	-	0.030
22	हेमा पिता लुणा, जाति सिर्वी, साकिन-लोनसरा खुर्द.	59/6	0.809	0.250	-	-	0.250
23	दयाराम, शिवराम, रामु पिता न्यादर, सुन्दरबाई बेवा न्यादर, जाति भीलाला, साकिन-देह	68/7	0.282	-	0.160	-	0.160
24	अरविन्द पिता जगदीश जाति भीलाला, साकिन-देह	71/1	0.878	-	0.020	-	0.020
25	रविन्द्र पिता जगदीश जाति भीलाला, पता निवासी ग्राम	71/3	0.882	0.110	-	0.010	0.120
26	मोहन पिता बाबू, संगीता पति मोहन जाति भीलाला, पता निवासी ग्राम.	72/3	0.203	0.090	-	-	0.090
27	मयाराम पिता मांगीलाल जाति भीलाला, पता निवासी ग्राम.	72/12	0.060	-	-	0.060	0.060
28	पावरसिंह पिता फूलसिंह जाति भीलाला, पता निवासी ग्राम.	127/1	0.971	0.040	-	-	0.040

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
29	मयाराम पिता मांगीलाल जाति भीलाला, पता निवासी ग्राम.	127/4	1.190	-	0.020	-	0.020
30	रुखडु, पन्नालाल, गीता, शांता, लीला पिता गोपाल झुमाबाई बेवा गोपाल जाति सिर्वा, निवासी-लोनसरा खुर्द.	152/1 153/2	1.773	0.041	-	-	0.041
31	पारूबाई पिता छितु जाति भीलाला, पता निवासी ग्राम.	152/3	1.214	-	0.160	-	0.160
32	छितु पिता मोत्या जाति भीलाला, पता निवासी ग्राम.	152/4	2.201	-	0.440	-	0.440
33	अमरसिंह पिता बाऊ, जाति भीलाला, साकिन-देह.	152/5	2.703	-	0.160	-	0.160
34	लक्ष्मण पिता बाऊ, जाति भीलाला, साकिन-देह.	152/6	0.526	-	0.150	-	0.150
35	गुलाब पिता भीलु, दिलीप, पिता रमेश, सूरजबाई, बेवा रमेश जाति भीलाला, निवासी ग्राम.	155/2 156/3 166/3	1.092	-	0.170	-	0.170
36	ओम प्रकाश पिता भगवान सिंह जाति भीलाला, साकिन-देह.	158/1	1.720	0.110	-	-	0.110
37	भारत पिता मिश्रीलाल, जाति भीलाला, पता साकिन-देह.	158/5	0.592	0.100	-	-	0.100
38	राजेन्द्र पिता भगवान सिंह जाति भीलाला, पता निवासी ग्राम.	158/7	1.780	0.140	-	-	0.140
39	शांता बेवा कालु, प्रेम संतोष, मनोहर पिता कालु. अ. पा. क. शांता बेवा कालु, जाति भीलाला, पता साकिन-देह.	163/1	3.326	0.440	-	0.010	0.450
40	रन्छोड़ पिता गोविन्द जाति भीलाला, पता निवासी ग्राम.	165/1	4.816	0.930	0.130	0.010	1.070
41	नाग्या पिता सात्या जाति भीलाला, पता निवासी ग्राम	165/2	2.489	0.140	-	-	0.140
42	बलवन्त पिता उमराव जाति भीलाला, पता साकिन-देह.	165/3	0.405	0.005	-	-	0.005

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
43	भारत पिता उमराव जाति भीलाला, पता साकिन-देह.	165/4	0.404	0.040	-	-	0.040
44	गजानंद पिता उमराव जाति भीलाला, पता निवासी ग्राम	165/5	0.405	0.050	-	-	0.050
45	गणपत पिता उमराव जाति भीलाला, साकिन-देह.	165/6	0.405	0.030	-	-	0.030
46	छीतु पिता मोत्या जाति भीलाला, पता निवासी ग्राम.	177/2 178	0.813	0.200	-	-	0.200
47	दशरथ, चैनसिंग, कमला, जशोदा, सयदा, मयदा, संतोषी पिता अमरसिंग जाति भीलाला, साकिन-देह.	177/3 180/2	1.622	0.480	-	-	0.480
48	बाबुसिंह पिता बालू जाति भीलाला, साकिन-देह.	180/1 181/6	0.971	0.200	-	-	0.200
योग . .			79.457	7.822	2.090	1.185	11.097

नोट.—(1) भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा घाटी विकास संभाग क्रमांक-11 बड़वानी के कार्यालय में कार्यलयीन समय में किया जा सकता है.

(2) कोई भी व्यक्ति अधिसूचना की प्रकाशन के तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना के विनिर्दिष्ट भूमि का कलेक्टर (भू-अर्जन) बड़वानी की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लगंम सृजित नहीं करेगा.

(3) सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत नहर निर्माण का पर्यावरणीय समाघात का अध्ययन किया गया है अतः धारा 6 की उपधारा (2 'क') के अनुसार सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारंश प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है.

(4) भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन के उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 10 के प्रावधान भी सिंचाई परियोजना होने के कारण लागू नहीं होंगे.

(5) इस प्रारंभिक अधिसूचना वर्णित भूमि के क्षेत्र उपयुक्तता एवं औचित्य के संबंध में हितबद्ध व्यक्ति धारा 15 (1) के अधीन 60 दिवस के भीतर भू-अर्जन अधिकारी के कार्यालय में आक्षेप प्रस्तुत कर सकते हैं.

(6) समुचित सरकार की वेबसाइट www.barwani.nic.in पर भी अपलोड किया गया है.

क्र. 1664-भू-अर्जन-2016-रा.प्र.क्र. 13ए-82-2015-16.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में ग्राम **पिपलाज**, तहसील **बड़वानी** जिला **बड़वानी** में इंदिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर की वितरण शाखा के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्यों हेतु आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार, सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची-2 में उल्लेखित है.

अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्र. 30 सन् 2013) की धारा 11 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है:—

अनुसूची (1)

ग्राम : पिपलाज, तहसील—बड़वानी

स. क्र.	विवरण	कुल रकबा (हेक्टेयर)				अर्जित रकबा (हेक्टेयर)			
		सिंचित	असिंचित	पड़त	कुल	सिंचित	असिंचित	पड़त	कुल
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	ग्राम : पिपलाज	27.980	1.650	2.284	31.914	2.237	0.055	0.470	2.762

अनुसूची (2)

ग्राम : पिपलाज, प. ह. नं. 14 तहसील, बड़वानी के इंदिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर की तलुन वितरण शाखा एवं उसकी उपनहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्यों हेतु आवश्यक वर्णित भूमि जो आवश्यक है

स. क्र.	कृषक का नाम	खसरा नंबर	कुल भूमि का रकबा (हेक्टेयर)	अर्जित भूमि (हेक्टेयर)			
				सिंचित	असिंचित	पड़त	कुल
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	राधेश्याम, मनोरमा पिता बाबुलाल, ब्राह्मण, निवासी बड़वानी.	11/2	1.000	-	-	0.190	0.190
2	सोमेश्वर पिता गोदुराम, जानकी बेवा पुरुषोत्तम, अनुसुईया, वसुंधरा पिता गोदुराम, रमेशचन्द्र पिता शंकर राव, जयंती, मोहन, दीपक पिता बाबुलाल ब्राह्मण, निवासी बड़वानी.	11/4 11/5	3.853	0.055	-	0.250	0.305
3	हरीश पिता देवराम, कुलमी, निवासी पिपलाज.	12/3	1.012	0.052	-	-	0.052
4	ज्योति पति नकुल, कुलमी, निवासी बड़वानी.	13/2	3.238	0.085	-	-	0.085
5	राहुल पिता विजय, कुलमी निवासी पिपलाज.	14/2	1.862	0.070	-	0.010	0.080
6	राधेश्याम पिता कोरजी, कुलमी, निवासी पिपलाज.	14/3	1.862	0.197	-	-	0.197
7	कृष्णकांत पिता बुलचंद शुक्ला जाति ब्राह्मण, निवासी पिपलाज.	14/4	1.862	0.380	-	-	0.380
8	भागीरथ पिता शिवा, कुलमी, निवासी पिपलाज.	16/1	1.093	0.175	-	-	0.175
9	रन्धोड़ पिता गोपाल, कुलमी, निवासी पिपलाज.	16/2	1.307	0.130	-	-	0.130
10	राजेश पिता रुखडु, कुलमी निवासी पिपलाज.	16/6	1.696	0.040	-	-	0.040

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
11	मोतीलाल पिता शंकर, कुलमी निवासी पिपलाज.	17/1	1.809	0.100	-	0.010	0.110
12	गेंदालाल पिता शंकर, कुलमी, निवासी पिपलाज.	17/2	1.619	0.128	-	0.010	0.138
13	मोहन पिता शंकर, कुलमी निवासी पिपलाज.	17/3	1.214	0.090	-	-	0.090
14	सुरेश, शकुन्तला पिता बाबुलाल मारू, निवासी पिपलाज.	20/1	1.619	0.100	-	-	0.100
15	महेश पिता छगन, कुलमी निवासी पिपलाज.	20/2	2.226	0.320	-	-	0.320
16	दिनेश पिता छगन, कुलमी, निवासी पिपलाज.	20/5 20/11	1.809	0.255	-	-	0.255
17	सुरेश पिता बाबुलाल मारू, निवासी पिपलाज.	20/9	1.032	0.060	-	-	0.060
18	राधेश्याम पिता देवराम, कुलमी, निवासी पिपलाज.	21/5	1.801	-	0.055	-	0.055
योग . .			31.914	2.237	0.055	0.470	2.762

नोट.—(1) भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा घाटी विकास संभाग क्रमांक-11 बड़वानी के कार्यालय में कार्यलयीन समय में किया जा सकता है.

(2) कोई भी व्यक्ति अधिसूचना की प्रकाशन के तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना के विनिर्दिष्ट भूमि का कलेक्टर (भू-अर्जन) बड़वानी की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लगंम सृजित नहीं करेगा.

(3) सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत नहर निर्माण का पर्यावरणीय समाघात का अध्ययन किया गया है अतः धारा 6 की उपधारा (2 'क') के अनुसार सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारंश प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है.

(4) भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन के उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 10 के प्रावधान भी सिंचाई परियोजना होने के कारण लागू नहीं होंगे.

(5) इस प्रारंभिक अधिसूचना वर्णित भूमि के क्षेत्र उपयुक्तता एवं औचित्य के संबंध में हितबद्ध व्यक्ति धारा 15 (1) के अधीन 60 दिवस के भीतर भू-अर्जन अधिकारी के कार्यालय में आक्षेप प्रस्तुत कर सकते हैं.

(6) समुचित सरकार की वेबसाइट www.barwani.nic.in पर भी अपलोड किया गया है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अजयसिंह गंगवार, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

राजस्व विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 13 मई 2016

क्र. एफ-2-3-2010-सात-शा.6.—मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 24 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) के अधीन गठित की गई समस्त ग्राम पंचायतों को उनकी अपनी-अपनी अधिकारिताओं के भीतर,—

- (1) नामांतरण के अविवादित मामलों के निराकरण के संबंध में, उक्त संहिता की धारा 110 के अधीन तहसीलदार की शक्तियां इस निदेश के साथ प्रदान करती हैं कि ऐसे मामलों का निराकरण तीस दिन के भीतर किया जाए तथा इस समयावधि के पश्चात् ऐसे मामलों का निराकरण तहसीलदार द्वारा किया जाएगा; और
- (2) खातों के बंटवारे के अविवादित मामलों के संबंध में, उक्त संहिता की धारा 178 के अधीन तहसीलदार की शक्तियां इस निदेश के साथ प्रदान करती हैं कि ऐसे मामलों का निराकरण नब्बे दिन के भीतर किया जाए तथा इस समयावधि के पश्चात् ऐसे मामलों का निराकरण तहसीलदार द्वारा किया जाएगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुरेश कुमार रजक, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 13 मई 2016

क्र. एफ-2-3-2010-सात-शा.6.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ. 2-3-2010-सात-शा.6 दिनांक 13 मई 2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुरेश कुमार रजक, उपसचिव.

Bhopal, the 13th May 2016

F.2-3-2010-VII-Sec.6.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 24 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), the State Government, hereby confers the following powers upon all Gram Panchayats constituted under the Madhya Pradesh Panchayat Raj Avam Gram Swaraj Adhiniyam, 1993 (No. 1 of 1994), within their respective jurisdiction, namely,—

- (1) the powers of Tahsildar under section 110 of the said Code for the purpose of disposal of undisputed cases of mutation with the direction that such cases be disposed of within thirty days and after this time period such cases shall be disposed of by the Tahsildar; and
- (2) the powers of Tahsildar under section 178 of the said Code for the purpose of disposal of undisputed cases of partition of holdings with the direction that such cases be disposed of within ninety days and after this time period such cases shall be disposed of by the Tahsildar.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
SURESH KUMAR RAJAK, Dy. Secy.

राजस्व विभाग

कार्यालय, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास,	(1)	(2)
बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं	309	0.013
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग	308	0.012
	306	0.001
रीवा, दिनांक 30 मार्च 2016	307	0.013
	254	0.025
पत्र क्र. 976-प्रका.-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को	253	0.002
इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद	146	0.021
(1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि	143	0.015
सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन	145	0.001
पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का	140	0.032
अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा	120	0.003
घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित	141	0.023
सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :—	135	0.001
	133	0.008
अनुसूची	134	0.016
(1) भूमि का वर्णन—	127	0.001
(क) जिला—रीवा	142	0.003
(ख) तहसील—रायपुर कर्चुलियान	132	0.041
(ग) ग्राम—ऐतला 37	85	0.001
(घ) क्षेत्रफल—1.001 हेक्टेयर.	129	0.005
	95	0.013
खसरा नंबर	93	0.009
	144	0.014
अर्जित रकबा		
(हे. में)		
(1)	(2)	
अ-निजी पट्टे की भूमि		
192	0.203	
200	0.018	
198	0.011	
199	0.034	
202	0.074	
206	0.002	
203	0.076	
205	0.008	
317	0.050	
318	0.001	
319	0.078	
320	0.011	
315	0.001	
323	0.020	
322	0.020	
311	0.026	
321	0.008	
305	0.004	
		अ. निजी पट्टे की भूमि का योग . . . 0.918
		ब. म. प्र. शासन की भूमि
		204 0.026
		255 0.029
		94 0.028
		ब. म. प्र. शासन की भूमि का योग . . . 0.083
		अ + ब का योग . . . 1.001
		(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.—“बहुती
		नहर के अन्तर्गत अमिलकी वितरक के माइनर क्र. 13”
		में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित
		सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
		(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं
		पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया
		जा सकता है.
		पत्र क्र. 978-प्रका.-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को
		इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद

(1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—रायपुर कर्चुलियान
(ग) ग्राम—भलुही 467
(घ) क्षेत्रफल—0.134 हेक्टेयर.

खसरा नंबर	अर्जित रकबा (हे. में)
-----------	--------------------------

(1)	(2)
-----	-----

अ-निजी पट्टे की भूमि

330	0.062
329	0.039
328	0.033

अ. निजी पट्टे की भूमि का योग . . . 0.134

ब—म. प्र. शासन की भूमि

ब. म. प्र. शासन की भूमि का योग . . . 0.000

अ + ब का योग . . . 0.134

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.—“बहुती नहर के अन्तर्गत अमिलकी वितरक के माइनर क्र. 13” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 980-प्रका.-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—रायपुर कर्चुलियान
(ग) ग्राम—रोर 561

(घ) क्षेत्रफल—0.960 हेक्टेयर.

खसरा नंबर	अर्जित रकबा (हे. में)
-----------	--------------------------

(1)	(2)
-----	-----

अ-निजी पट्टे की भूमि

90	0.076
91	0.060
80	0.001
79	0.098
78	0.010
77	0.005
53	0.018
54	0.082
57	0.058
58	0.097
61	0.004
62	0.059
44	0.002
43	0.148
42	0.111
40	0.002
41	0.127
37	0.001
64	0.001

अ. निजी पट्टे की भूमि का योग . . . 0.960

ब—म. प्र. शासन की भूमि

ब. म. प्र. शासन की भूमि का योग . . . 0.000

अ + ब का योग . . . 0.960

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.—“बहुती नहर के अन्तर्गत अमिलकी वितरक के माइनर क्र. 15” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 982-प्रका.-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित

सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-

खसरा नंबर	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
अ-निजी पट्टे की भूमि	
112	0.039
114	0.041
593	0.024
594	0.084
588	0.006
592	0.001
587	0.150
585	0.010
583	0.033
584	0.045
328	0.051
323	0.023
324	0.055
335	0.005
321	0.037
320	0.006
318	0.024
317	0.022
315	0.028
306	0.004
308	0.024
309	0.028
310	0.021
346	0.001
322	0.101
382	0.008
383	0.011
385	0.009
387	0.016
388	0.009
389	0.010

(1)	(2)
अनुसूची	427
(1) भूमि का वर्णन—	426
(क) जिला—रीवा	अ. निजी पट्टे की भूमि का योग . .
(ख) तहसील—गुढ	0.982
(ग) ग्राम—गेरुआरी 17	
(घ) क्षेत्रफल—1.003 हेक्टेयर.	

ब—म. प्र. शासन की भूमि

327	0.018
305	0.003
ब. म. प्र. शासन की भूमि का योग . .	0.021
अ + ब का योग . .	1.003

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.—“बहुती नहर के अन्तर्गत रतहरा वितरक के माइनर क्र. 1” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 984-प्रका.-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
- (ख) तहसील—गुढ
- (ग) ग्राम—पहाऊ 355
- (घ) क्षेत्रफल—1.737 हेक्टेयर.

खसरा नंबर	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
अ-निजी पट्टे की भूमि	
101	0.027
102	0.057
100	0.001
113	0.168
120	0.001
118	0.025
119	0.030
117	0.055

(1)	(2)	(1)	(2)
232	0.187	285	0.002
237	0.013	अ. निजी पट्टे की भूमि का योग . .	1.716
278	0.175	ब—म. प्र. शासन की भूमि	
279	0.013		
281	0.061	440	0.005
174	0.119	461	0.009
173	0.008	305	0.007
175	0.084	ब. म. प्र. शासन की भूमि का योग . .	0.021
364	0.007	अ + ब का योग . .	1.737
363	0.095		
362	0.008	(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.—“बहुती	
358	0.069	नहर के अन्तर्गत रतहरा वितरक के माइनर क्र. 3 एवं 4”	
359	0.068	में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित	
382	0.010	सम्पत्ति के अर्जन हेतु.	
396	0.086	(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं	
397	0.074	पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया	
399	0.034	जा सकता है.	
417	0.022	पत्र क्र. 986-प्रका.-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को	
445	0.023	इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद	
439	0.002	(1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि	
446	0.003	सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन	
448	0.025	पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का	
450	0.002	अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा	
459	0.025	घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित	
290	0.002	सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :—	
288	0.014	अनुसूची	
291	0.017	(1) भूमि का वर्णन—	
287	0.008	(क) जिला—रीवा	
301	0.020	(ख) तहसील—गुढ	
312	0.009	(ग) ग्राम—कौवादान 115	
310	0.034	(घ) क्षेत्रफल—0.384 हेक्टेयर.	
309	0.003	खसरा नंबर	अर्जित रकबा
307	0.011		(हे. में)
398	0.004	(1)	(2)
405	0.001	अ-निजी पट्टे की भूमि	
406	0.001	60	0.054
400	0.006	58	0.038
401	0.001	56	0.001
447	0.001	55	0.114
298	0.002	52	0.001
311	0.003	54	0.018
		53	0.006

(1)	(2)
31	0.002
30	0.078
34	0.006
32	0.011
35	0.001
अ. निजी पट्टे की भूमि का योग . .	<u>0.384</u>

ब—म. प्र. शासन की भूमि

ब. म. प्र. शासन की भूमि का योग . .	<u>0.000</u>
अ + ब का योग . .	<u>0.384</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.—“बहुती नहर के अन्तर्गत रतहरा वितरक के माइनर क्र. 5” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 988-प्रका.-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—
- (क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—गुढ
(ग) ग्राम—बंजारी 399
(घ) क्षेत्रफल—0.101 हेक्टेयर.

खसरा नंबर	अर्जित रकबा (हे. में)
-----------	--------------------------

(1)	(2)
अ-निजी पट्टे की भूमि	

403	0.001
400	0.100

अ. निजी पट्टे की भूमि का योग . . 0.101

ब—म. प्र. शासन की भूमि

ब. म. प्र. शासन की भूमि का योग . .	<u>0.000</u>
अ + ब का योग . .	<u>0.101</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.—“बहुती नहर के अन्तर्गत रतहरा वितरक के माइनर क्र. 6” में

आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 990-प्रका.-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—गुढ
(ग) ग्राम—चंदेहरी 177
(घ) क्षेत्रफल—0.449 हेक्टेयर.

खसरा नंबर	अर्जित रकबा (हे. में)
-----------	--------------------------

(1)	(2)
अ-निजी पट्टे की भूमि	

126	0.022
127	0.041
121	0.026
122	0.014
120	0.099
115	0.005
116	0.139
108	0.019
109	0.005
110	0.038
113	0.014
107	0.001

अ. निजी पट्टे की भूमि का योग . . 0.423

ब—म. प्र. शासन की भूमि

124	0.026
ब. म. प्र. शासन की भूमि का योग . .	<u>0.026</u>
अ + ब का योग . .	<u>0.449</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.—“बहुती नहर के अन्तर्गत रतहरा वितरक के माइनर क्र. 5” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 992-प्रका.-भू-अर्जन-2016.—चूँकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—गुढ
(ग) ग्राम—पकरा 327
(घ) क्षेत्रफल—0.499 हेक्टेयर.

खसरा नंबर	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
अ-निजी पट्टे की भूमि	
19	0.090
22	0.043
23	0.010
24	0.063
25	0.046
28	0.040
30	0.038
32	0.148
33	0.002

अ. निजी पट्टे की भूमि का योग . . . 0.480

ब—म. प्र. शासन की भूमि

44 0.019

ब. म. प्र. शासन की भूमि का योग . . . 0.019

अ + ब का योग . . . 0.499

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.—“बहुती नहर के अन्तर्गत रतहरा वितरक के माइनर क्र. 6” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 994-प्रका.-भू-अर्जन-2016.—चूँकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—गुढ
(ग) ग्राम—गेरुई 166
(घ) क्षेत्रफल—0.747 हेक्टेयर.

खसरा नंबर	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)

अ-निजी पट्टे की भूमि

314	0.022
316	0.133
322	0.061
308	0.061
328	0.143
327	0.001
329	0.048
335	0.049
334	0.107
168	0.012
317	0.013
333	0.097

अ. निजी पट्टे की भूमि का योग . . . 0.747

ब—म. प्र. शासन की भूमि

ब. म. प्र. शासन की भूमि का योग . . . 0.000

अ + ब का योग . . . 0.747

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.—“बहुती नहर के अन्तर्गत रतहरा वितरक के माइनर क्र. 7” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 996-प्रका.-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—गुढ
(ग) ग्राम—हटवा 629
(घ) क्षेत्रफल—1.606 हेक्टेयर.

खसरा नंबर	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
अ-निजी पट्टे की भूमि	
251	0.115
252	0.098
254	0.027
262	0.056
261	0.010
265	0.001
260	0.162
259	0.027
256	0.004
257	0.071
295	0.030
294	0.040
296	0.078
297	0.051
255	0.005
293	0.021
113	0.181
105	0.012
117	0.063
104	0.025
119	0.084
120	0.017
121	0.113
122	0.010
124	0.028

(1)	(2)
130	0.137
127	0.008
133	0.097
103	0.013
अ. निजी पट्टे की भूमि का योग . .	1.584

ब—म. प्र. शासन की भूमि

125	0.022
ब. म. प्र. शासन की भूमि का योग . .	0.022
अ + ब का योग . .	1.606

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.—“बहुती नहर के अन्तर्गत रतहरा वितरक के माइनर क्र. 7 एवं 8” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 998-प्रका.-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—गुढ
(ग) ग्राम—लोही 574
(घ) क्षेत्रफल—0.551 हेक्टेयर.

खसरा नंबर	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
अ-निजी पट्टे की भूमि	
505	0.042
504	0.128
439	0.039
440	0.041
442	0.013
443	0.010
453	0.028

(1)	(2)
452	0.017
451	0.033
434	0.094
435	0.056
444	0.030
447	0.001
448	0.004
449	0.001
450	0.014
अ. निजी पट्टे की भूमि का योग . .	<u>0.551</u>

ब—म. प्र. शासन की भूमि

ब. म. प्र. शासन की भूमि का योग . .	<u>.0.000</u>
अ + ब का योग . .	<u>0.551</u>

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.—“बहुती नहर के अन्तर्गत रतहरा वितरक के माइनर क्र. 3” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 1000-प्रका.-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—गुढ
(ग) ग्राम—भीटा 474
(घ) क्षेत्रफल—0.911 हेक्टेयर.

खसरा नंबर अर्जित रकबा
(हे. में)

(1)	(2)
अ-निजी पट्टे की भूमि	
219	0.108
227	0.018

(1)	(2)
228	0.102
229	0.050
238	0.043
230	0.085
231	0.002
277	0.003
276	0.045
278	0.049
279	0.116
274	0.005
300	0.025
301	0.020
272	0.063
302	0.019
304	0.003
25	0.110

अ. निजी पट्टे की भूमि का योग . . 0.866

ब—म. प्र. शासन की भूमि

303	0.031
243	0.014

ब. म. प्र. शासन की भूमि का योग, . . 0.045
अ + ब का योग . . 0.911

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.—“बहुती नहर के अन्तर्गत रतहरा वितरक के माइनर क्र. 2 एवं 3” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 1002-प्रका.-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—गुढ

(ग) ग्राम—पटना 328

(घ) क्षेत्रफल—1.028 हेक्टेयर.

आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

खसरा नंबर	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)

अ-निजी पट्टे की भूमि

250	0.005
251	0.084
247	0.147
430	0.039
431	0.008
432	0.010
429	0.020
428	0.012
427	0.003
426	0.121
424	0.006
423	0.138
491	0.001
422	0.037
489	0.071
419	0.001
158	0.008
179	0.020
164	0.030
151	0.034
150	0.105
149	0.037
173	0.028
174	0.015
286	0.006
161	0.012
301	0.002
273	0.013

अ. निजी पट्टे की भूमि का योग . . . 1.013

ब—म. प्र. शासन की भूमि

501 0.015

ब. म. प्र. शासन की भूमि का योग . . . 0.015

अ + ब का योग . . . 1.028

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 1004-प्रका.-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—रायपुर कर्चुलियान
(ग) ग्राम—रौरा 563
(घ) क्षेत्रफल—4.186 हेक्टेयर.

खसरा नंबर	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)

अ-निजी पट्टे की भूमि

1470/918	0.044
915	0.034
914	0.066
913	0.011
918	0.157
917	0.017
924	0.047
916	0.040
925	0.101
930	0.001
929	0.129
926	0.065
927	0.128
928	0.015
933	0.105
935	0.191
940	0.118
938	0.027
941	0.009

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.—“बहुती नहर के अन्तर्गत रतहरा वितरक के माइनर क्र. 2” में

(1)	(2)	पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-
939	0.036	
953	0.028	
954	0.028	
955	0.001	
956	0.236	
949	0.001	
948	0.017	
947	0.028	
957	0.312	
854	0.012	
960	0.017	
835	0.047	
846	0.040	
833	0.042	
834	0.381	
236	0.286	
235	0.001	
232	0.435	
231	0.172	
230	0.194	
839	0.248	
227	0.193	
225	0.079	
228	0.001	
अ. निजी पट्टे की भूमि का योग . .	4.140	
ब—म. प्र. शासन की भूमि		
934	0.031	
219	0.015	
ब. म. प्र. शासन की भूमि का योग . .	0.046	
अ + ब का योग . .	4.186	
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.—“बहुती नहर के अन्तर्गत अमिलकी वितरक” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.		
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.		
पत्र क्र. 1006-प्रका.-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन		

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा

(ख) तहसील—रायपुर कर्चुलियान

(ग) ग्राम—नाइन 316

(घ) क्षेत्रफल—0.885 हेक्टेयर.

खसरा नंबर

अर्जित रकबा

(हे. में)

(1)

(2)

अ-निजी पट्टे की भूमि

264	0.011
261	0.035
260	0.093
259	0.108
254	0.011
255	0.056
247	0.012
251	0.001
250	0.010
248	0.024
249	0.003
224	0.013
225	0.072
208	0.038
207	0.045
205	0.078
133	0.008
137	0.002
134	0.018
132	0.016
142	0.009
143	0.005
162	0.006
144	0.005
147	0.022
161	0.021
148	0.007
149	0.005

(1)	(2)
152	0.001
153	0.003
154	0.001
155	0.016
76	0.017
73	0.007
27	0.005
26	0.004
28	0.001
13	0.008
30	0.018
12	0.001
11	0.007
10	0.001
7	0.005
6	0.009
33	0.001
34	0.001

अ. निजी पट्टे की भूमि का योग . . . 0.840

ब—म. प्र. शासन की भूमि

226	0.038
77	0.007

ब. म. प्र. शासन की भूमि का योग . . . 0.045

अ + ब का योग . . . 0.885

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.—“बहुती नहर के अन्तर्गत अमिलकी वितरक के माइनर क्र. 15” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 1008-प्रका.-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—
(क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—गुढ

- (ग) ग्राम—चदिहर 176
(घ) क्षेत्रफल—0.971 हेक्टेयर.

खसरा नंबर अर्जित रकबा
(हे. में)

(1) (2)

अ-निजी पट्टे की भूमि

150	0.173
149	0.007
147	0.015
146	0.203
132	0.074
141	0.142
142	0.013
186	0.066
185	0.023
184	0.063
183	0.192

अ. निजी पट्टे की भूमि का योग . . . 0.971

ब—म. प्र. शासन की भूमि

ब. म. प्र. शासन की भूमि का योग . . . 0.000

अ + ब का योग . . . 0.971

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.—“बहुती नहर के अन्तर्गत रतहरा वितरक के माइनर क्र. 5” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

रीवा, दिनांक 25 अप्रैल 2016

क्र. 1256-कार्य-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—
(क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—हुजूर

- (ग) नगर/ग्राम—रूपौली
(घ) क्षेत्रफल—1.379 हेक्टेयर.

खसरा नंबर	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
अ-निजी पट्टे की भूमि	
34	0.103
47/1	0.042
47/2	0.023
74	0.026
75	0.023
76/1	0.005
76/2	0.023
140	0.042
144	0.012
146	0.010
147	0.010
151	0.020
152	0.019
155	0.037
156	0.045
163	0.020
182	0.020
183	0.014
212	0.030
294	0.011
594	0.230
622/1	0.055
622/2	0.067
729	0.014
813	0.002
814	0.008
815	0.007
819	0.005
828	0.007
839	0.004
1113/1284	0.015
1114	0.015
1185/1	0.012
1193	0.005
1195/1	0.030
1195/2	0.008
कुल योग . .	<u>1.379</u>

(1) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.—टोन्स लिंक नहर के बायें पार्श्व में अतिरिक्त सैच्य हेतु चचाई वितरक की रहट माइनर की रहट सबमाइनर नं. 3 में विस्तार कार्य माइनर नहर के निर्माण में आने वाली निजी/शासकीय भूमि पर स्थिति संपत्तियों के अर्जन हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक भू-अर्जन एवं पुनर्वास, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है

पत्र क्र. 1258-कार्य-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—हुजूर
(ग) नगर/ग्राम—मकरवट
(घ) क्षेत्रफल लगभग—0.116 हेक्टेयर.

खसरा नंबर	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
अ-निजी पट्टे की भूमि	
33/2	0.008
38	0.007
197	0.046
198	0.045
208	0.018
कुल योग . .	<u>0.124</u>

(1) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.—टोन्स लिंक नहर के बायें पार्श्व में अतिरिक्त सैच्य हेतु रहट सबमाइनर नं. 3 के विस्तार कार्य माइनर नहर के निर्माण में आने वाली निजी/शासकीय भूमि पर स्थिति संपत्तियों के अर्जन हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक भू-अर्जन एवं पुनर्वास, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 1268-प्रका.-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—जवा
(ग) ग्राम—बरेतीकला
(घ) क्षेत्रफल लगभग—3.923 हेक्टेयर.

खसरा नं.

अर्जित रकबा (हेक्टर में)

निजी भूमि शासकीय भूमि

(1)	(2)	(3)
28	0.680	-
251	0.143	-
252	0.143	-
253	0.143	-
267	0.413	-
764	0.096	-
765	0.106	-
766	0.120	-
776	-	0.047
823	0.010	-
825	0.047	-
826	0.138	-
827	0.069	-
828	0.014	-
830	0.081	-
834	0.047	-
875	0.073	-
876	0.015	-
877	0.130	-
882	0.019	-
884	0.149	-
886	0.058	-
887	0.008	-
888	0.122	-
889	0.076	-
1011	0.020	-
1012	0.066	-
1013	0.010	-
1014	0.004	-
1015	0.104	-
1107	0.026	-
1111	0.106	-

(1)	(2)	(3)
1112	0.081	-
1113	0.075	-
1178	-	0.005
1182	0.068	-
1183	0.116	-
1184	0.015	-
1185	0.185	-
1186	0.027	-
1187	0.048	-
1193	0.020	-

योग : 3.923

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.—बाणसागर परियोजना के अंतर्गत “त्योथर बहाव योजना के नहर निर्माण” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 1272-प्रका.-भू-अर्जन-2015.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—जवा
(ग) नगर/ग्राम—कल्याणपुर 57
(घ) क्षेत्रफल लगभग—0.030 हेक्टेयर.

खसरा नं.

अर्जित रकबा (हेक्टर में)

निजी भूमि शासकीय भूमि

(1)	(2)	(3)
(अ) निजी पट्टे की भूमि		
37	0.030	-
योग . .	0.030	-
(ब) शासकीय भूमि	-	निरंक
महायोग . .		0.030

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.—बाणसागर परियोजना के अंतर्गत “टमस मुख्य नहर निर्माण” में आने वाली निजी/शासकीय भूमियों एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 1274-प्रका.-भू-अर्जन-2015.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—जवा
(ग) नगर/ग्राम—पाटी-322
(घ) क्षेत्रफल लगभग—3.039 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हेक्टर में)	
	निजी भूमि	शासकीय भूमि
(1)	(2)	(3)
180	0.068	-
181	0.183	-
185	0.151	-
186	0.295	-
195	0.004	-
196	0.079	-
197	0.118	-
198	0.011	-
239	0.041	-
240	0.002	-
241	0.026	-
242	0.070	-
243	0.055	-
244	0.083	-
245	0.083	-
246	0.083	-
247	0.003	-
248	0.025	-
249	0.083	-
250	0.011	-
255	0.104	-
260	0.051	-
261	0.197	-
262	0.108	-
275	0.047	-
276	0.163	-
277	0.012	-
278	0.184	-
279	0.045	-
282	0.047	-
283	0.257	-
284	0.090	-

(1)	(2)	(3)
285	0.039	
307	0.057	-
	<u>2.875</u>	

(ब) शासकीय भूमि

1	-	<u>0.164</u>
	योग . .	<u>0.164</u>
	महायोग . .	<u>3.039</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.—बाणसागर परियोजना के अंतर्गत “टमस मुख्य नहर निर्माण” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 1276-प्रका.-भू-अर्जन-2015.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—जवा
(ग) नगर/ग्राम—गुढ़ पवाई
(घ) क्षेत्रफल लगभग—0.160 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हेक्टर में)	
	निजी भूमि	शासकीय भूमि
(1)	(2)	(3)
(अ) निजी पट्टे की भूमि		
287	0.040	-
103	0.120	-
	योग . .	<u>0.160</u>
(ब) शासकीय भूमि	-	निरंक
	महायोग . .	<u>0.160</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.—बाणसागर परियोजना के अंतर्गत “टमस मुख्य नहर निर्माण” में आने वाली निजी/शासकीय भूमियों एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

बी. एल. साकेत, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला पन्ना, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

पन्ना, दिनांक 31 मार्च 2016

प्र. क्र. 020-अ-82-वर्ष 2015-16.— भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(1) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय-सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(2) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका क्रमांक (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची की कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिये पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है, अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची की कंडिका क्रमांक (1) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये अपेक्षित है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—पन्ना
(ख) तहसील—गुनौर
(ग) ग्राम—मोहाई, प.ह.नं. 54
(घ) लगभग क्षेत्रफल—10.10 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)	भूमि का प्रकार
(1)	(2)	(3)
219	0.50	निजी भूमि
220	0.50	निजी भूमि
222	1.46	निजी भूमि
223	0.74	निजी भूमि
224	0.74	निजी भूमि
225	0.56	निजी भूमि
226	0.56	निजी भूमि
231	0.70	निजी भूमि
227	0.60	निजी भूमि
243	0.30	निजी भूमि
230	0.20	निजी भूमि
228	0.56	निजी भूमि
242	0.26	निजी भूमि

(1)	(2)	(3)
229	0.50	निजी भूमि
248	0.42	निजी भूमि
91	0.10	निजी भूमि
93	0.50	निजी भूमि
254	0.90	निजी भूमि

कुल रकबा निजी भूमि . . . 10.10

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—टिरी गुरने तालाब योजना के अन्तर्गत बांध निर्माण कार्य हेतु,
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकार (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, गुनौर में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 021-अ-82-वर्ष 2015-16.— भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(1) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय-सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(2) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका क्रमांक (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची की कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिये पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है, अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची की कंडिका क्रमांक (1) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये अपेक्षित है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—पन्ना
(ख) तहसील—गुनौर
(ग) ग्राम—बिल्हा कंगाली, प.ह.नं. 54
(घ) लगभग क्षेत्रफल—26.88 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)	भूमि का प्रकार
(1)	(2)	(3)
389	0.60	निजी भूमि
390	0.75	निजी भूमि
396	1.50	निजी भूमि
400	0.01	निजी भूमि
397	0.18	निजी भूमि

(1)	(2)	(3)
398	0.07	निजी भूमि
405	0.80	निजी भूमि
408	1.02	निजी भूमि
409	0.47	निजी भूमि
410	0.43	निजी भूमि
412	0.10	निजी भूमि
413	0.05	निजी भूमि
415	1.60	निजी भूमि
427	0.33	निजी भूमि
431	0.37	निजी भूमि
432	1.48	निजी भूमि
1/1	3.21	निजी भूमि
1/2	3.21	निजी भूमि
16	0.65	निजी भूमि
8	0.57	निजी भूमि
9	0.44	निजी भूमि
10	0.35	निजी भूमि
15	0.26	निजी भूमि
11	0.46	निजी भूमि
12	0.21	निजी भूमि
14/1	2.00	निजी भूमि
14/2	0.83	निजी भूमि
18	0.05	निजी भूमि
49	0.56	निजी भूमि
50	0.03	निजी भूमि
48	0.01	निजी भूमि
282	0.67	निजी भूमि
278	1.66	निजी भूमि
302	0.01	निजी भूमि
297	0.96	निजी भूमि
298	0.57	निजी भूमि
299	0.35	निजी भूमि
325	0.02	निजी भूमि
326	0.03	निजी भूमि
68	0.01	निजी भूमि
कुल रकबा निजी भूमि . . .	<u>26.88</u>	

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—टिरी गुरने तालाब योजना के अन्तर्गत बांध निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, गुनौर में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 019-अ-82-वर्ष 2015-16.—भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम,

2013 की धारा 15(1) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय-सीमा 60 दिवस की समयवधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(2) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका क्रमांक (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची की कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिये पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है, अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची की कंडिका क्रमांक (1) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये अपेक्षित है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—पन्ना
(ख) तहसील—गुनौर
(ग) ग्राम—मटेवरा, प.ह.नं. 53
(घ) लगभग क्षेत्रफल—11.90 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)	भूमि का प्रकार
(1)	(2)	(3)
215/1	2.01	निजी भूमि
215/2	0.53	निजी भूमि
217	0.66	निजी भूमि
218	0.59	निजी भूमि
212	0.42	निजी भूमि
213	0.46	निजी भूमि
162	0.27	निजी भूमि
214	0.76	निजी भूमि
160	0.48	निजी भूमि
159	1.67	निजी भूमि
157	1.59	निजी भूमि
155	0.05	निजी भूमि
153	0.40	निजी भूमि
216/1	0.30	निजी भूमि
216/2	0.60	निजी भूमि
129/1ख	0.59	निजी भूमि
161	0.32	निजी भूमि
128	0.20	निजी भूमि
कुल रकबा निजी भूमि . . .	<u>11.90</u>	

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—टिरी गुरने तालाब योजना के अन्तर्गत बांध निर्माण कार्य हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, गुनौर में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 034-अ-82-वर्ष 2015-16.— भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(1) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय-सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(2) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका क्रमांक (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची की कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिये पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है, अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची की कंडिका क्रमांक (1) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये अपेक्षित है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—पन्ना
(ख) तहसील—रैपुरा
(ग) ग्राम—बहिरवारा, प.ह.नं. 11
(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.030 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)	भूमि का प्रकार
(1)	(2)	(3)
84/1	0.050	निजी भूमि
93/1	0.030	निजी भूमि
125	0.080	निजी भूमि
126	0.040	निजी भूमि
84/2	0.040	निजी भूमि
93/2	0.060	निजी भूमि
119	0.010	निजी भूमि
192	0.020	निजी भूमि
193	0.050	निजी भूमि
121	0.150	निजी भूमि
2021	0.030	निजी भूमि
202	0.010	निजी भूमि
122	0.010	निजी भूमि

(1)	(2)	(3)
199	0.040	निजी भूमि
200	0.030	निजी भूमि
124	0.010	निजी भूमि
164/1	0.040	निजी भूमि
164/2	0.030	निजी भूमि
171	0.030	निजी भूमि
172	0.040	निजी भूमि
173	0.040	निजी भूमि
178	0.040	निजी भूमि
179	0.030	निजी भूमि
189	0.040	निजी भूमि
181	0.010	निजी भूमि
188/2	0.010	निजी भूमि
194	0.010	निजी भूमि
198	0.040	निजी भूमि
197	0.010	निजी भूमि

कुल रकबा निजी भूमि . . 1.030

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बिल्हा तालाब योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, शाहनगर में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 033-अ-82-वर्ष 2015-16.— भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(1) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय-सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(2) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका क्रमांक (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची की कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिये पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है, अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची की कंडिका क्रमांक (1) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये अपेक्षित है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—पन्ना
(ख) तहसील—रैपुरा

(ग) ग्राम—रानीपुरा, प.ह.नं. 10		(1)	(2)	(3)	
(घ) लगभग क्षेत्रफल—2.700 हेक्टेयर.		275	0.030	निजी भूमि	
खसरा नम्बर	कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)	भूमि का प्रकार			
(1)	(2)	(3)			
153/1	0.010	निजी भूमि	276	0.010	निजी भूमि
176	0.030	निजी भूमि	279	0.010	निजी भूमि
177	0.080	निजी भूमि	283	0.010	निजी भूमि
178	0.010	निजी भूमि	291	0.030	निजी भूमि
179	0.090	निजी भूमि	294	0.040	निजी भूमि
185	0.120	निजी भूमि	284	0.040	निजी भूमि
186/1/क/1	0.070	निजी भूमि	290	0.040	निजी भूमि
188/2	0.140	निजी भूमि	235/1	0.050	निजी भूमि
225	0.070	निजी भूमि	337	0.110	निजी भूमि
236	0.040	निजी भूमि	342	0.020	निजी भूमि
226/3	0.010	निजी भूमि	343	0.040	निजी भूमि
153/2	0.090	निजी भूमि	344	0.030	निजी भूमि
237/2	0.060	निजी भूमि	95	0.020	निजी भूमि
249	0.060	निजी भूमि	79/1/1	0.020	निजी भूमि
269	0.050	निजी भूमि	186/2	0.020	निजी भूमि
270	0.030	निजी भूमि			
250	0.070	निजी भूमि			
277	0.010	निजी भूमि			
266	0.010	निजी भूमि			
267	0.100	निजी भूमि			
313	0.010	निजी भूमि			
314	0.150	निजी भूमि			
295	0.010	निजी भूमि			
326	0.050	निजी भूमि			
335	0.050	निजी भूमि			
337	0.040	निजी भूमि			
334	0.010	निजी भूमि			
336	0.010	निजी भूमि			
186/1/ख/1	0.050	निजी भूमि			
81	0.100	निजी भूमि			
90	0.070	निजी भूमि			
91	0.160	निजी भूमि			
93/1	0.040	निजी भूमि			
79/2	0.050	निजी भूमि			
79/1/2	0.070	निजी भूमि			
117	0.010	निजी भूमि			
118/1	0.020	निजी भूमि			
119/1	0.020	निजी भूमि			
119/2	0.010	निजी भूमि			
121/2	0.040	निजी भूमि			
118/2	0.020	निजी भूमि			
121/1	0.040	निजी भूमि			

कुल रकबा निजी भूमि . . 2.700

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बिल्हा तालाब योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमिका नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, शाहपुर में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शिव नारायण सिंह चौहान, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश
एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग

ग्वालियर, दिनांक 18 अप्रैल 2016

प्र. क्र. 01-अ-82-14-15-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—ग्वालियर

(ख) तहसील—भितरवार

- (ग) नगर/ग्राम—रिछारीखुर्द
(घ) क्षेत्रफल—0.200 हेक्टर.

सर्वे नम्बर	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
09	0.200
योग . .	<u>0.200</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—हरसी उच्चस्तरीय मुख्य नहर की वितरण प्रणाली के निर्माण हेतु भूमि का अर्जन.
(3) भूमि का नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, न्यायालय भू-अर्जन अधिकारी, ग्वालियर के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 09-अ-82-14-15-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—ग्वालियर
(ख) तहसील—ग्वालियर
(ग) नगर/ग्राम—जखारा
(घ) क्षेत्रफल—0.460 हेक्टर.

सर्वे नम्बर	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
68	0.170
52	0.050
313/1	0.240
योग . .	<u>0.460</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—हरसी उच्चस्तरीय मुख्य नहर की शीतला माता शाखा नहर के निर्माण हेतु भूमि का अर्जन.
(3) भूमि का नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, न्यायालय भू-अर्जन अधिकारी, ग्वालियर के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 10-अ-82-14-15-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन

और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—ग्वालियर
(ख) तहसील—ग्वालियर
(ग) नगर/ग्राम—नारायणपुर
(घ) क्षेत्रफल—0.350 हेक्टर.

सर्वे नम्बर	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
123	0.020
83	0.010
67/2	0.100
38/1	0.050
38/2	0.050
37	0.020
योग . .	<u>0.350</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—हरसी उच्चस्तरीय मुख्य नहर की शीतला माता शाखा नहर के निर्माण हेतु भूमि का अर्जन.
(3) भूमि का नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, न्यायालय भू-अर्जन अधिकारी, ग्वालियर के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 17-अ-82-14-15-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—ग्वालियर
(ख) तहसील—ग्वालियर
(ग) नगर/ग्राम—चकसोनपुर
(घ) क्षेत्रफल—0.170 हेक्टर.

सर्वे नम्बर	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
142/2 मिन 2	0.170
योग . .	<u>0.170</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—हरसी उच्चस्तरीय मुख्य नहर की शीतला माता शाखा नहर के निर्माण हेतु भूमि का अर्जन.

(3) भूमि का नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, न्यायालय भू-अर्जन अधिकारी, ग्वालियर के कार्यालय में किया जा सकता है।

प्र. क्र. 20-अ-82-14-15-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—ग्वालियर
(ख) तहसील—चीनोर
(ग) नगर/ग्राम—मेहगांव-2
(घ) क्षेत्रफल—0.220 हेक्टर.

सर्वे नम्बर	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
950	0.220
योग . .	0.220

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—हरसी उच्चस्तरीय मुख्य नहर की वितरण प्रणाली के निर्माण हेतु भूमि का अर्जन.

(3) भूमि का नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, न्यायालय भू-अर्जन अधिकारी, ग्वालियर के कार्यालय में किया जा सकता है.

ग्वालियर, दिनांक 20 अप्रैल 2016

प्र. क्र. 05-अ-82-14-15-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—ग्वालियर
(ख) तहसील—भितरवार
(ग) नगर/ग्राम—भीतरी
(घ) क्षेत्रफल—0.180 हेक्टर.

सर्वे नम्बर	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
55 क	0.180
योग . .	0.180

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—हरसी उच्चस्तरीय मुख्य नहर के निर्माण हेतु भूमि का अर्जन.

(3) भूमि का नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, न्यायालय भू-अर्जन अधिकारी, ग्वालियर के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 06-अ-82-14-15-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—ग्वालियर
(ख) तहसील—भितरवार
(ग) नगर/ग्राम—देवरीकला
(घ) क्षेत्रफल—0.318 हेक्टर.

सर्वे नम्बर	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
57 मिन 4/1	0.318
योग . .	0.318

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—हरसी उच्चस्तरीय मुख्य नहर की वितरण प्रणाली के निर्माण हेतु भूमि का अर्जन.

(3) भूमि का नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, न्यायालय भू-अर्जन अधिकारी, ग्वालियर के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 18-अ-82-14-15-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—ग्वालियर
(ख) तहसील—चीनोर
(ग) नगर/ग्राम—दुबहाटांका
(घ) क्षेत्रफल—0.176 हेक्टर.

सर्वे नम्बर	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
1863	0.140
1864	0.036
योग . . .	0.176

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि की आवश्यकता है—हरसी उच्चस्तरीय नहर की एम-12 नहर के निर्माण हेतु भूमि का अर्जन.
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, न्यायालय भू-अर्जन अधिकारी, ग्वालियर के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 19-अ-82-14-15-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—ग्वालियर
(ख) तहसील—चीनोर
(ग) नगर/ग्राम—बेरनी
(घ) क्षेत्रफल—0.166 हेक्टर.

सर्वे नम्बर	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
278	0.166
योग . .	<u>0.166</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि आवश्यकता है—हरसी उच्चस्तरीय मुख्य के निर्माण हेतु भूमि का अर्जन.
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, न्यायालय भू-अर्जन अधिकारी, ग्वालियर के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 22-अ-82-14-15-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—ग्वालियर
(ख) तहसील—ग्वालियर
(ग) नगर/ग्राम—मानपुरा
(घ) क्षेत्रफल—2.950 हेक्टर.

सर्वे नम्बर	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
किता-19	संलग्न सूची अनुसार
योग . .	<u>2.950</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि की आवश्यकता है—हरसी उच्चस्तरीय मुख्य नहर की आरोली शाखा नहर के निर्माण हेतु भूमि का अर्जन.

- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, न्यायालय भू-अर्जन अधिकारी, ग्वालियर के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय गोयल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन
उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 21 अप्रैल 2016

पत्र क्र. 135-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची सारणी के कालम 2 में वर्णित भूमि अनुसूची की सारणी के कालम 3 में उल्लेखित भूमि के रकबे का सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 की उपधारा (4) के अंतर्गत एतद्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि की आवश्यकता लोकप्रयोजन के लिए है.

चूंकि रीवा-सीधी-सिंगरौली नई बड़ी रेल लाइन परियोजना के अंतर्गत जिला-रीवा में रेलवे लाईन निर्माण का कार्य प्रगति में है एवं केवल छुटे हुए खसरो के आंशिक रकबे के अर्जन के साथ-साथ परियोजना से प्रभावित छुटे हुए रकबों पर स्थित संपत्तियों एवं परिसंपत्तियों का भी अर्जन किया जाना आवश्यक है. इस कारण अधिनियम के उपधारा (2) के तहत पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा (म. प्र.)
(ख) तहसील—हुजूर
(ग) ग्राम—पड़रा-335
(घ) लगभग क्षेत्रफल—

खसरा नंबर	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)	टिप्पणी
(1)	(2)	(3)

124 - संपत्तियों/परिसंपत्तियों के अर्जन हेतु.

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है—रीवा-सीधी-सिंगरौली नई बड़ी रेल लाइन परियोजना.

(3) भूमि का नक्शा एवं प्लान का अवलोकन कलेक्टर, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग जिला-रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है।

अंतर्गत एतद्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि की आवश्यकता लोकप्रयोजन के लिए है।

चूंकि रीवा-सीधी-सिंगरौली नई बड़ी रेल लाइन परियोजना के अंतर्गत जिला-रीवा में रेल्वे लाईन निर्माण का कार्य प्रगति में है एवं केवल छुटे हुए खसरो के आंशिक रकबे के अर्जन के साथ-साथ परियोजना से प्रभावित छुटे हुए रकबों पर स्थित संपत्तियों एवं परिसंपत्तियों का भी अर्जन किया जाना आवश्यक है। इस कारण अधिनियम के उपधारा (2) के तहत पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा (म. प्र.)
 (ख) तहसील—हुजूर
 (ग) ग्राम—ओढ़की खुर्द
 (घ) लगभग क्षेत्रफल—

खसरा नंबर	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)	टिप्पणी
(1)	(2)	(3)

266/2 - संपत्तियों/परिसंपत्तियों के अर्जन हेतु.

- (1) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है—रीवा-सीधी-सिंगरौली नई बड़ी रेल लाइन परियोजना.
 (2) भूमि का नक्शा एवं प्लान का अवलोकन, कलेक्टर, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग जिला-रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है।

पत्र क्र. 138-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची सारणी के कालम 2 में वर्णित भूमि अनुसूची की सारणी के कालम 3 में उल्लेखित भूमि के रकबे का सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 की उपधारा (4) के अंतर्गत एतद्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि की आवश्यकता लोकप्रयोजन के लिए है।

चूंकि रीवा-सीधी-सिंगरौली नई बड़ी रेल लाइन परियोजना के अंतर्गत जिला-रीवा में रेल्वे लाईन निर्माण का कार्य प्रगति में है एवं केवल छुटे हुए खसरो के आंशिक रकबे के अर्जन के साथ-साथ परियोजना से प्रभावित छुटे हुए रकबों पर स्थित संपत्तियों एवं परिसंपत्तियों का भी अर्जन किया जाना आवश्यक है। इस कारण अधिनियम के उपधारा (2) के तहत पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन

पत्र क्र. 136-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची सारणी के कालम 2 में वर्णित भूमि अनुसूची की सारणी के कालम 3 में उल्लेखित भूमि के रकबे का सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 की उपधारा (4) के अंतर्गत एतद्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि की आवश्यकता लोकप्रयोजन के लिए है।

चूंकि रीवा-सीधी-सिंगरौली नई बड़ी रेल लाइन परियोजना के अंतर्गत जिला-रीवा में रेल्वे लाईन निर्माण का कार्य प्रगति में है एवं केवल छुटे हुए खसरो के आंशिक रकबे के अर्जन के साथ-साथ परियोजना से प्रभावित छुटे हुए रकबों पर स्थित संपत्तियों एवं परिसंपत्तियों का भी अर्जन किया जाना आवश्यक है। इस कारण अधिनियम के उपधारा (2) के तहत पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा (म. प्र.)
 (ख) तहसील—हुजूर
 (ग) ग्राम—पड़रा-333
 (घ) लगभग क्षेत्रफल— 0.021 हे.

खसरा नंबर	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)	टिप्पणी
(1)	(2)	(3)

456/4 0.021 निजी भूमि
 योग . .0.021

- (1) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है—रीवा-सीधी-सिंगरौली नई बड़ी रेल लाइन परियोजना.
 (2) भूमि का नक्शा एवं प्लान का अवलोकन, कलेक्टर, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग जिला-रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है।

पत्र क्र. 137-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची सारणी के कालम 2 में वर्णित भूमि अनुसूची की सारणी के कालम 3 में उल्लेखित भूमि के रकबे का सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 की उपधारा (4) के

स्कीम का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा (म. प्र.)
 (ख) तहसील—हुजूर
 (ग) ग्राम—रौसर
 (घ) लगभग क्षेत्रफल— 0.286 हे.

खसरा नंबर	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)	टिप्पणी
(1)	(2)	(3)
846	0.059	निजी भूमि
847	0.074	निजी भूमि
851	0.089	निजी भूमि
852	0.030	निजी भूमि
248/2/1	0.034	निजी भूमि
योग . .	<u>0.286</u>	

- (1) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है—रीवा-सीधी-सिंगरौली नई बड़ी रेल लाइन परियोजना.
 (2) भूमि का नक्शा एवं प्लान का अवलोकन, कलेक्टर, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग जिला-रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 139-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची सारणी के कालम 2 में वर्णित भूमि अनुसूची की सारणी के कालम 3 में उल्लेखित भूमि के रकबे का सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 की उपधारा (4) के अंतर्गत एतद्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि की आवश्यकता लोकप्रयोजन के लिए है.

चूंकि रीवा-सीधी-सिंगरौली नई बड़ी रेल लाइन परियोजना के अंतर्गत जिला-रीवा में रेलवे लाईन निर्माण का कार्य प्रगति में है एवं केवल छुटे हुए खसरो के आंशिक रकबे के अर्जन के साथ-साथ परियोजना से प्रभावित छुटे हुए रकबों पर स्थित संपत्तियों एवं परिसंपत्तियों का भी अर्जन किया जाना आवश्यक है. इस कारण अधिनियम के उपधारा (2) के तहत पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा (म. प्र.)
 (ख) तहसील—हुजूर

(ग) ग्राम—बांसा

(घ) लगभग क्षेत्रफल— 0.090 हे.

खसरा नंबर	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)	टिप्पणी
(1)	(2)	(3)
504	0.048	निजी भूमि
506	0.010	निजी भूमि
797	0.032	निजी भूमि
योग . .	<u>0.090</u>	

- (1) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है—रीवा-सीधी-सिंगरौली नई बड़ी रेल लाइन परियोजना.
 (2) भूमि का नक्शा एवं प्लान का अवलोकन, कलेक्टर, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग जिला-रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

रीवा, दिनांक 26 अप्रैल 2016

पत्र क्र. 145-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची सारणी के कालम 2 में वर्णित भूमि अनुसूची की सारणी के कालम 3 में उल्लेखित भूमि के रकबे का सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 की उपधारा (4) के अंतर्गत एतद्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि की आवश्यकता लोकप्रयोजन के लिए है.

चूंकि रीवा-सीधी-सिंगरौली नई बड़ी रेल लाइन परियोजना के अंतर्गत जिला-रीवा में रेलवे लाईन निर्माण का कार्य प्रगति में है एवं केवल छुटे हुए खसरो के आंशिक रकबे के अर्जन के साथ-साथ परियोजना से प्रभावित छुटे हुए रकबों पर स्थित संपत्तियों एवं परिसंपत्तियों का भी अर्जन किया जाना आवश्यक है. इस कारण अधिनियम के उपधारा (2) के तहत पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा (म. प्र.)
 (ख) तहसील—हुजूर
 (ग) ग्राम—सिलपरा
 (घ) लगभग क्षेत्रफल— 0.125

खसरा नंबर	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)	टिप्पणी
(1)	(2)	(3)
786/1	0.045	निजी भूमि
613	0.080	निजी भूमि
योग . .	<u>0.125</u>	

- (1) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—रीवा-सीधी-सिंगरौली नई बड़ी रेल लाइन परियोजना.
 (2) भूमि के नक्शा एवं प्लान का अवलोकन, कलेक्टर, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग जिला-रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
 राहुल जैन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.